

**उत्तरांचल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012**  
**{उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 11 वर्ष 2013}**

**विषय सूची**

धाराएं	विवरण	पृष्ठ संख्या
	<b>अध्याय-1</b> <b>प्रारम्भिक</b>	
1.	संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ	2
2.	परिभाषायें	2-4
	<b>अध्याय-2</b> <b>विश्वविद्यालय और उसके उद्देश्य</b>	
3.	विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्ताव	5-6
4.	विश्वविद्यालय की स्थापना	6-7
5.	विश्वविद्यालय का वित्तीय सहायता आदि के लिए हकदार न होना	7
6.	किसी संस्था को सम्बद्ध करने की शक्ति न होना	7
7.	विश्वविद्यालय के स्थापना का प्रभाव	7-8
8.	विश्वविद्यालय के उद्देश्य	8-10
9.	विश्वविद्यालय के कर्तव्य व शक्तियाँ	11-14
10.	विश्वविद्यालय में सभी वर्ग, जाति एवं लिंग की पहुँच होगी	14
11.	राष्ट्रीय प्रत्यायन	14
	<b>अध्याय-3</b> <b>विश्वविद्यालय के अधिकारी</b>	
12.	विश्वविद्यालय के अधिकारी	14-15
13.	कुलाध्यक्ष (विजिटर)	15
14.	कुलाधिपति	15-16
15.	कुलपति	16-17
16.	प्रति-कुलपति (प्रो-वाइस चांसलर)	17
17.	संकायाध्यक्ष	17
18.	कुल सचिव	17
19.	वित्त अधिकारी	17
20.	अन्य अधिकारी गण	17
	<b>अध्याय-4</b> <b>उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों के लिये उपबन्ध</b>	
21.	उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों के लिए उपबन्ध	18

## अध्याय-5

## विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

22.	विश्वविद्यालय के प्राधिकारी	18
23.	व्यवस्थापक मण्डल व उसकी शक्तियां	18-19
24.	प्रबन्ध मण्डल	19
25.	विद्या परिषद्	19-20
26.	वित्त समिति	20
27.	अन्य प्राधिकरण	20
28.	रिक्ति के कारण कार्यवाही का अविधिमान्य न होना	20

## अध्याय-6

## परिनियम और नियम

29.	परिनियम	20-21
30.	परिनियम कैसे बनाये जायें	21
31.	परिनियम संशोधन करने की शक्ति	21
32.	नियम	21-22
33.	नियमावली कैसे बनायी जायेगी	22
34.	नियमावली को संशोधित करने की शक्ति	22

## अध्याय-7

## प्रकीर्ण

35.	कर्मचारियों से सेवा शर्तें	23
36.	अपील का अधिकार	23
37.	भविष्य निर्णयों एवं बीमा	23
38.	विश्वविद्यालय प्राधिकरण और निकायों के गठन के बारे में विवाद	23
39.	समितियों का गठन	24
40.	आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति	24
41.	सद्भावपूर्ण की गई कार्यवाही के लिये संरक्षण	24
42.	संक्रमण गलीन उपबन्ध	24
43.	स्थायी देन्यास निधि	25
44.	सामान्य निधि	25
45.	विकास निधि	25
46.	निधि अनुसरण	25
47.	वार्षिक प्रतिवेदन	26
48.	लेखा व लेखा परीक्षा	26
49.	विश्वविद्यालय के अभिलेख को सिद्ध करने की रीति	26-27
50.	विश्वविद्यालय का विघटन	27
51.	विश्वविद्यालय के विघटन के समय विश्वविद्यालय के व्यय	28
52.	कठिनाईयों का निराकरण	28
53.	निराकरण और अपवाद	28

# **The Uttarakhand University Act, 2012**

[Uttarakhand Act No. 11 of 2013]

## **INDEX**

<b>Sections</b>	<b>Detail</b>	<b>Page No.</b>
<b>CHAPTER – I</b>		
<b><u>Preliminary</u></b>		
1.	Short title and Commencement	30
2.	Definition	30–32
<b>CHAPTER – II</b>		
<b><u>The University and Its Objects</u></b>		
3.	Proposal for the Establishment of the University	32–33
4.	Establishment of University	33–34
5.	University not to be entitled to Financial Assistance	34
6.	No Power to Affiliate any Institution	34
7.	Effect of the Establishment of the University	34–35
8.	Objects of the University	35–38
9.	Powers and Duties of the University	38–42
10.	University Open to all Classes, Castes, Colour, Creed and Gender	42–43
11.	National Accreditation	43
<b>CHAPTER – III</b>		
<b><u>Officers of the University</u></b>		
12.	Officers of the University	43
13.	The Visitor	43–44
14.	The Chancellor	44
15.	The Vice-Chancellor	44–45
16.	The Pro Vice-Chancellor	45
17.	Deans of Faculties	45
18.	The Registrar	45–46
19.	The Finance Officer	46
20.	Other Officers	46
<b>CHAPTER – IV</b>		
<b><u>Provisions for Permanent Residents of Uttarakhand</u></b>		
21.	Provisions for Permanent Residents of Uttarakhand	46

Sections	Detail	Page No.
----------	--------	----------

**CHAPTER – V**  
**Authorities of the University**

22.	Authorities of the University	47
23.	The Board of Governors and its Powers	47
24.	The Board of Management	48
25.	The Academic Council	48
26.	The Finance Committee	48
27.	Other Authorities	48
28.	Proceedings not invalidated on Account of Vacancy	49

**CHAPTER – VI**  
**Statutes and Rules**

29.	Statutes	49
30.	Statutes How Made	50
31.	Power to Amend the Statutes	50
32.	Rules	50
33.	Rules How Made	51
34.	Power to Amend Rules	51

**CHAPTER – VII**  
**Miscellaneous**

35.	Conditions of Services of Employees	51
36.	Right to Appeal	51–52
37.	Provident Fund and Insurance	52
38.	Disputes as to Constitution of University Authorities Bodies	52
39.	Constitution of Committees	52
40.	Filling of Casual Vacancies	52
41.	Protection of Action taken in Good Faith	52
42.	Transitional Provisions	53
43.	Permanent Endowment Fund	53
44.	General Fund	53
45.	Development Fund	53–54
46.	Maintenance of Fund	54
47.	Annual Report	54
48.	Accounts and Audit	54–55
49.	Mode of Proof of University Record	55
50.	Dissolution of University	55–56
51.	Expenditure of the University During Dissolution	56
52.	Removal of Difficulties	56–57
53.	Repeal and Saving	57



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 15 फरवरी, 2013 ई0

माघ 26, 1934 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 59/XXXVI(3)/2013/64(1)/2012

देहरादून, 15 फरवरी, 2013

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित ‘उत्तरांचल विश्वविद्यालय विधेयक, 2012’ पर दिनांक 13 फरवरी, 2013 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 11 वर्ष, 2013 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

## उत्तरांचल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012

{उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 11 वर्ष 2013}

उच्च, तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा के विकास एवं उत्थान के क्षेत्र में इन्जीनियरिंग, आर्किटेक्चर, तकनीकी, कम्यूनिकेशन, पर्यावरण, विधि एवं विधिक शिक्षा, प्रबन्धन, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, लाइफ साइंसेज, कृषि विज्ञान, एप्लाइड साइंसेज, सामाजिक विज्ञान, ह्यूमनिटिज, आर्ट्स, कामर्स, मेडिसिन, डेन्टिस्ट्री, पैरा-मेडिकल, फार्मेसी, जर्नलिज्म, मॉस कम्यूनिकेशन, बायो-टेक्नोलॉजी, मैरिन साइंसेज, पेट्रोलियम स्टडीज, सौर ऊर्जा, होटल मैनेजमेन्ट व हॉस्पिटैलिटी और व्यावसायिक शिक्षा अर्थात् बी०एड०, एम०एड०, बी०पी०एड०, शोध व प्रशिक्षण कार्यक्रमों और ऐसे अन्य कार्यक्रम या क्षेत्र, जो कि केन्द्रीय सरकार के राजपत्र अधिसूचना, जो कि इण्डियन आयुर्वेदिक काउन्सिल, इण्डियन डेन्टल साइंस काउन्सिल, इण्डियन फार्मेसी काउन्सिल, नेशनल टिचर्स ट्रेनिंग काउन्सिल, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया, डिस्टेंस एजुकेशन काउन्सिल तथा अन्य व्यावसायिक शिक्षा से सम्बन्धित रेग्युलेटरी काउन्सिल से विचार-विमर्श के उपरान्त डिप्लोमा, डिग्री प्रदान करने व पी०एच०डी०, डी०फिल, डी०लिट०, डी०एस०सी० से सम्बन्धित अनुसंधान की उन्नत सुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से देहरादून में सुशीला देवी सेन्टर फॉर प्रोफेशनल स्टडीज एण्ड रिसर्च सोसाइटी (सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अधीन पंजीकृत सोसाइटी) द्वारा प्रायोजित उत्तरांचल विश्वविद्यालय नामक विश्वविद्यालय की स्थापना एवं निगमन के लिए

## अधिनियम

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

## अध्याय-1

## प्रारम्भिक

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 है।

(2) यह राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना जारी किये जाने वाली की तारीख से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

## परिभाषाएं

2. जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :-

(क) 'विद्या परिषद्' से विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् अभिप्रेत है;

(ख) 'व्यवस्थापक मण्डल' से विश्वविद्यालय का व्यवस्थापक मण्डल अभिप्रेत है;

(ग) 'भारतीय विधिज्ञ परिषद्' से भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा बनाये गये नियम एडवोकेट्स अधिनियम, 1961 अभिप्रेत है;

- (घ) 'बोर्ड ऑफ गवर्नर्स' से विश्वविद्यालय का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स अभिप्रेत है;
- (ङ) 'कैरियर एकेडमी सेन्टर' से ऐसा केन्द्र अभिप्रेत है, जो विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार की पूर्वानुमति से स्थापित, मान्य एवं अनुरक्षित हो, जिसका दूरदृश्य प्रसारण प्राप्त करने, ई-मेल, इन्टरनेट, पारस्परिक संवाद, प्रशिक्षण, व्याख्यान, गोष्ठी एवं कार्यशाला आयोजित करने, विद्यार्थियों के लिये सलाह परामर्श एवं अन्य सहायता के उद्देश्य से किया गया हो;
- (च) 'कुलाधिपति' से विश्वविद्यालय का कुलाधिपति अभिप्रेत है;
- (छ) 'परिसर' से विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित तथा विनियमों के आधार पर संचालित विश्वविद्यालय का परिसर अभिप्रेत है;
- (ज) 'संघटक महाविद्यालय' से विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित तथा विनियमों के आधार पर कोई महाविद्यालय या संस्था अभिप्रेत है;
- (झ) 'तकनीकी शिक्षा परिषद' से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 की धारा 3 के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अभिप्रेत है;
- (ञ) 'दूरस्थ शिक्षा पद्धति' से राज्य के भीतर शिक्षा की वह पद्धति अभिप्रेत है, जिसमें शिक्षण के लिए ऐसे सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के माध्यमों, जैसे दूर-दृश्य प्रसारण (टेलीकास्टिंग), पत्राचार पाठ्यक्रम, गोष्ठी, सम्पर्क कार्यक्रम या ऐसे किसी दो या अधिक माध्यमों का संयुक्त रूप से उपयोग किये गया हो;
- (ट) 'कर्मचारी' से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई कर्मचारी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय या इसके किसी परिसर या किसी संघटक महाविद्यालय के अध्यापक और अन्य कर्मचारी भी सम्मिलित है;
- (ठ) 'संकाय' से विश्वविद्यालय की संकाय अभिप्रेत है;
- (ड) 'वित्त समिति' से विश्वविद्यालय वित्त समिति अभिप्रेत है;
- (ढ) 'सरकार' से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है;
- (ण) 'हॉल' अथवा 'छात्रावास' से विश्वविद्यालय अथवा संघटक महाविद्यालय द्वारा अनुरक्षित तथा मान्य छात्रों के आवास की इकाई अभिप्रेत है;
- (त) 'सुशीला देवी सेन्टर फॉर प्रोफेशनल स्टडीज एण्ड रिसर्च सोसाइटी' से सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अधीन पंजीकृत सोसाइटी अभिप्रेत है, जिसका पंजीकृत कार्यालय आरकेडिया ग्रान्ट, पोस्ट ऑफिस चन्दनवाडी प्रेमनगर, देहरादून-248007 उत्तराखण्ड में अवस्थित है;

- (ध) 'विहित' से परिनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (द) 'परिसर' के 'निदेशक' या संघटक महाविद्यालय के सम्बन्ध में 'प्राचार्य' से उस परिसर या संघटक महाविद्यालय का प्रधान अभिप्रेत है और इसमें जहाँ प्राचार्य नहीं है, उप-प्राचार्य या तत्समय प्राचार्य के रूप में कार्य के लिए नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति भी सम्मिलित है;
- (ध) 'कुलसचिव' से विश्वविद्यालय का कुलसचिव अभिप्रेत है;
- (न) 'क्षेत्रीय केन्द्र' से ऐसा केन्द्र अभिप्रेत है, जिसकी स्थापना या अनुरक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किसी क्षेत्र में स्थित अध्ययन केन्द्रों के समन्वय, पर्यवेक्षण तथा प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रदत्त कार्यों के निष्पादन के उद्देश्य से किया गया हो, जो कि विश्वविद्यालय/राज्य सरकार एवं यू०जी०सी० की पूर्वानुमति से स्थापित किया गया हो;
- (प) 'राज्य' से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है;
- (फ) 'परिनियम' और 'नियमावली' से क्रमशः विश्वविद्यालय का परिनियम और नियमावली अभिप्रेत है;
- (ब) 'अध्ययन केन्द्र' से विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे केन्द्र अभिप्रेत है, जिसकी स्थापना एवं अनुरक्षण विद्यार्थियों को सलाह, परामर्श या अन्य सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया, जो कि विश्वविद्यालय/राज्य सरकार एवं यू०जी०सी० की पूर्वानुमति से स्थापित किया गया हो;
- (म) 'अध्यापक' से आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य/व्याख्याता या ऐसा अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है, जिससे विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय में शिक्षण प्रदान करने या शोध कार्य के संचालन के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मापदण्डों के अनुरूप नियुक्त किया जाये और इसके अन्तर्गत किसी परिसर का निदेशक या संघटक महाविद्यालय का प्राचार्य भी आता है;
- (म) 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत स्थापित आयोग अभिप्रेत है;
- (य) 'विश्वविद्यालय' से इस अधिनियम के अधीन प्रस्तावित उत्तरांचल विश्वविद्यालय अभिप्रेत है;
- (र) 'कुलाध्यक्ष (विजिटर)' से विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष अभिप्रेत है।



अध्याय-2

विश्वविद्यालय और इसके उद्देश्य

विश्वविद्यालय की  
स्थापना के लिए  
प्रस्ताव

3. (1) सुशीला देवी सेंटर फॉर प्रोफेशनल स्टडीज एण्ड रिसर्च सोसाइटी, देहरादून, जिसे यहाँ आगे सोसाइटी कहा गया है, को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय स्थापित करने का अधिकार होगा।
- (2) सोसाइटी, राज्य सरकार को विश्वविद्यालय की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव सहित एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर चुकी है, जिसमें निम्न विवरण प्रस्तुत किये गये हैं :-
  - (क) सोसाइटी के पूर्ण विवरण सहित विश्वविद्यालय के उद्देश्य;
  - (ख) विश्वविद्यालय की प्रास्थिति, विस्तार और भूमि की उपलब्धता;
  - (ग) विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जाने वाले शैक्षणिक एवं अनुसंधान कार्यक्रमों की प्रकृति एवं प्रकार;
  - (घ) विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों की प्रकृति के अनुसार चरणबद्ध शिक्षा एवं शोध कार्य आरम्भ करना;
  - (ङ) विश्वविद्यालय परिसर का विकास जैसे-भवन, उपस्कर तथा संरचनात्मक सुविधाएं;
  - (च) आगामी पांच वर्षों के लिये पूंजीगत व्यय का चरणबद्ध परित्यय;
  - (छ) मदवार आवर्ती व्यय, वित्तीय स्रोत एवं प्रत्येक छात्र के लिये अनुमानित व्यय;
  - (ज) संसाधन जुटाने की योजना तथा उसकी पूंजीगत लागत और उन्हें चुकाने के तरीके;
  - (झ) आन्तरिक संसाधनों-विद्यार्थियों से लिये जाने वाले शुल्क, परामर्श एवं अन्य विश्वविद्यालय के उद्देश्यों से सम्बन्धित अन्य गतिविधियों से प्रत्याशित राजस्व एवं अन्य प्रत्याशित आय द्वारा आन्तरिक निधियों के सृजन की योजना;
  - (ञ) संस्था की लागत पर आने वाले व्यय, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिये शिक्षण शुल्कों में दी जाने वाली रियायतों या छूटों की सीमा, निःशुल्कता और छात्रवृत्तियाँ तथा अप्रवासी भारतीयों एवं विदेशों से आने वाले विद्यार्थियों से विभिन्न दरों पर, यदि कोई हो, लिये जाने वाले शुल्कों के स्वरूप का ब्यौरा;
  - (ट) सोसाइटी में उपलब्ध सम्बन्धित विषयों में विशेषज्ञता एवं अनुभव की

अवधि तथा वित्तीय संसाधन;

- (घ) विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रमों के लिये छात्रों की चयन पद्धति; तथा
- (ङ) विश्वविद्यालय की स्थापना से पूर्व ऐसी अन्य शर्तों की, जिनकी पूर्ति प्रदेश सरकार द्वारा अपेक्षित हो, पूर्ति की प्राप्ति।

- विश्वविद्यालय की स्थापना
4. (1) राज्य सरकार आवश्यक जाँच करने के उपरान्त संतुष्ट है कि प्रायोजित संस्थान ने सभी शर्तें और आवश्यकताओं को पूर्ण कर लिया है और उसे "उत्तरांचल विश्वविद्यालय" ज्ञात नाम से उत्तरांचल राज्य में विश्वविद्यालय स्थापित किया जाता है।
- (2) विश्वविद्यालय "उत्तरांचल विश्वविद्यालय" के नाम से एक निगमित निकाय होगा और शाश्वत उत्तराधिकारी होगा, उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और वह अपने नाम से वाद दायर कर सकेगा और उस पर वाद दायर किया जा सकेगा।
- (3) (क) विश्वविद्यालय का मुख्यालय देहरादून, उत्तराखण्ड में अवस्थित होगा तथा उसका अन्य परिसर, रीजनल सेन्टर्स, अध्ययन केन्द्र व कैरियर एकेडमि सेन्टर्स की स्थापना राज्य के अन्य स्थानों पर भी, जैसा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाये, हो सकेगी, बशर्ते कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य संवैधानिक निकायों द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं का पालन किया जायेगा। विश्वविद्यालय पाँच वर्ष की अवधि के बाद राज्य सरकार के अनुमति से राज्य के अन्दर दूसरा परिसर खोल सकता है। विश्वविद्यालय पर्वतीय क्षेत्रों में 2500 फुट के ऊपर द्वितीय परिसर खोलने की कोई समय सीमा नहीं होगी;
- (ख) विश्वविद्यालय को अन्य विभाग/विषय प्रारम्भ करने के लिए, यदि अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता हो, जैसा कि संवैधानिक निकायों के मानकानुसार आवश्यकता हो, विश्वविद्यालय या तो मुख्य परिसर से सटा हुआ या अलग (सिल्ट) परिसर देहरादून क्षेत्र में ही स्थापित कर सकता है।
- (4) विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपति एवं व्यवस्थापक मंडल, प्रबन्ध मंडल एवं विद्या परिषद् के सदस्य उपधारा (2) के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय में तत्समय उक्त पदों पर कार्य करते हुये नियमित निकाय गठित कर सकेंगे और विश्वविद्यालय के नाम से वाद दायर कर सकेंगे एवं उन पर वाद लाया

जा सकेगा।

(5) उपधारा (2) के अधीन विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने पर विश्वविद्यालय के प्रयोजन हेतु सोसाइटी द्वारा लॉ कालेज देहरादून, उत्तरांचल इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उत्तरांचल इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट, उत्तरांचल इन्स्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज द्वारा अधिग्रहीत निर्मित, सृजित, व्यवस्थित अथवा निर्मित भूमि, चल एवं अचल सम्पत्तियाँ भी लिये जाने पर सोसाइटी की सारी सम्पत्तियाँ विश्वविद्यालय को अन्तरित एवं उसमें निहित हो जायेगी।

(6) विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध भूमि, भवन, विभिन्न विभागों/संकायों के संचालित समस्त पाठ्यक्रम हेतु सम्बन्धित सर्वोच्च नियामक निकाय के मानकों के अनुसार होना आवश्यक होगा।

(7) विश्वविद्यालय के पास प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिये सर्वोच्च नियामक निकायों द्वारा निर्धारित भूमि व भवन होने चाहिये।

विश्वविद्यालय का  
वित्तीय सहायता  
आदि के लिए  
हकदार न होना

5. विश्वविद्यालय स्वतः वित्त पोषक होगा और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन, या नियन्त्रणाधीन किसी अन्य निकाय, या निगम से किसी प्रकार की सहायता, अनुदान या किसी अन्य वित्तीय सहायता की न तो कोई माँग करेगा और न ही उसके लिये हकदार होगा।

किसी संस्था को  
सम्बद्ध करने की  
शक्ति न होना

6. विश्वविद्यालय में संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र, शोध केन्द्र, एवं कैरियर एकेडमी सेन्टर उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत राज्य सरकार/यू०जी०सी० की पूर्वानुमति से विश्वविद्यालय की स्थापना के पाँच वर्ष के उपरान्त हो सकते हैं, किन्तु उसे किसी अन्य महाविद्यालय, या संस्था को सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति नहीं होगी।

विश्वविद्यालय के 7. इस अधिनियम के प्रभाव में आने के दिन से :-

स्थापना का प्रभाव (1) लॉ कालेज देहरादून, जो वर्तमान में हेमवती नन्दन बहुगुणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल से सम्बद्ध है तथा उत्तरांचल इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उत्तरांचल इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट, उत्तरांचल इन्स्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज जो वर्तमान में उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून एवं हेमवती नन्दन बहुगुणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल से सम्बद्ध है किसी भी प्रकार के संविदा या अन्य साधन

उत्तरांचल विश्वविद्यालय के अन्तर्गत निहित होंगे, जो इस अधिनियम के द्वारा स्थापित होंगे;

- (2) प्रत्येक कर्मचारी इस अधिनियम के अधीन स्थापित क्रमशः लॉ कालेज देहरादून, उत्तरांचल इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उत्तरांचल इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट, उत्तरांचल इन्स्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज की सेवा या अपने पद पर उसी अवधि के लिये उसी पारिश्रमिक और सेवा शर्तों तथा उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों यथा छुट्टी, उपादान और भविष्य निर्वाह निधि एवं अन्य मामले, तब तक, जब तक कि उनकी सेवायें समाप्त अथवा ऐसी अवधि, पारिश्रमिक और सेवा शर्तों, परिणियमों के द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तित नहीं कर दी जाती, जैसा कि यदि यह अधिनियम प्रख्यापित नहीं हुआ होता तो वह इस अधिनियम से पूर्व धारण करते रहते :

परन्तु यह कि यदि ऐसा परिवर्तन, ऐसी सेवा के लिये स्वीकार नहीं होता तो विश्वविद्यालय में नियोक्ता द्वारा संविदा की शर्तों के अनुसार अथवा यदि इस सम्बन्ध में कोई उपबन्ध न बने हो तो विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी कर्मचारियों के मामले में तीन महीने और अन्य कर्मचारियों के मामले में एक महीने के पारिश्रमिक के समतुल्य क्षतिपूर्ति के भुगतान पर उनकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं :

परन्तु यह और कि इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व प्रत्येक नियुक्त व्यक्ति इस धारा के अधीन लम्बित संविदा का निष्पादन इस अधिनियम और परिणियमों के उपबन्धों के संगत संविदा के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त समझा जायेगा।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य 8. (1) जिन उद्देश्यों के लिये विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है, वे निम्नवत् हैं :—

- (क) उच्च शिक्षा, ज्ञान का प्रसार, अनुसंधान आदि के प्रबन्ध तथा तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा के विकास एवं उत्थान के क्षेत्र में इन्जीनियरिंग, आर्किटेक्चर, तकनीकी, कम्प्यूनिक्शन, पर्यावरण, विधि एवं विधिक शिक्षा, प्रबन्धन, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, लाइफ साइंसेज, कृषि विज्ञान, एप्लाइड साइंसेज, सामाजिक विज्ञान, ह्यूमनिटिज, आर्ट्स, कामर्स, मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, पैरा-मैडिकल, फार्मसी, जर्नलिज्म, मॉस कम्प्यूनिक्शन, बायो-टेक्नोलॉजी, मैरिन साइंसेज, पेट्रोलियम स्टडीज, सौर ऊर्जा,

होटल मैनेजमेन्ट व हॉस्पिटेलिटी और व्यावसायिक शिक्षा अर्थात् बी०एड०, एम०एड०, बी०पी०एड०, शोध व प्रशिक्षण कार्यक्रमों और ऐसे अन्य कार्यक्रम हेतु डिप्लोमा, डिग्री, प्रदान करने तथा पी०एच०डी०, डी०फिल, डी०लिट०, डी०एस०सी० से सम्बन्धित अनुसंधान की उन्नत सुविधायें प्रदान करना;

(ख) इन्जीनियरिंग, आर्किटेक्चर, तकनीकी, कम्प्यूनिकेशन, पर्यावरण, विधि एवं विधिक शिक्षा, प्रबन्धन, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, लाइफ साइंसेज, कृषि विज्ञान, एप्लाइड साइंसेज, सामाजिक विज्ञान, ह्यूमनिटिज, आर्ट्स, कामर्स, मेडिसिन, डेन्टीस्ट्री, पैरा-मैडिकल, फार्मेसी, जर्नलिज्म, मॉस कम्प्यूनिकेशन, बॉयो-टेक्नोलॉजी, मैरिन साइंसेज, पेट्रोलियम स्टडीज, सौर ऊर्जा, होटल मैनेजमेन्ट व हॉस्पिटेलिटी, और व्यावसायिक शिक्षा अर्थात् बी०एड०, एम०एड०, बी०पी०एड०, शोध व प्रशिक्षण कार्यक्रमों और ऐसे अन्य कार्यक्रम हेतु उच्च एवं तकनीकी, व्यावसायिक शिक्षा तथा उससे सम्बन्धित आनुषंगिक विषयों से सम्बन्धित आदि संघटक महाविद्यालय की स्थापना तथा डिप्लोमा एवं स्नातक पाठ्यक्रम प्रदान करना। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों को संचालित करने का अधिकार व अन्य डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम प्रदान करने के उद्देश्य;

(ग) व्यावसायिक व तकनीकी पाठ्यक्रमों के विकास, प्रोत्साहन, लचीलापन व उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान के लिये इन्जीनियरिंग, आर्किटेक्चर, तकनीकी, कम्प्यूनिकेशन, पर्यावरण, विधि एवं विधिक शिक्षा, प्रबन्धन, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, लाइफ साइंसेज, कृषि विज्ञान, एप्लाइड साइंसेज, सामाजिक विज्ञान, ह्यूमनिटिज, आर्ट्स, कामर्स, मेडिसिन, डेन्टीस्ट्री, पैरा-मैडिकल, फार्मेसी, जर्नलिज्म, मॉस कम्प्यूनिकेशन, बॉयो-टेक्नोलॉजी, मैरिन साइंसेज, पेट्रोलियम स्टडीज, सौर ऊर्जा, होटल मैनेजमेन्ट व हॉस्पिटेलिटी और व्यावसायिक शिक्षा अर्थात् बी०एड०, एम०एड०, बी०पी०एड०, शोध व प्रशिक्षण कार्यक्रमों और ऐसे अन्य कार्यक्रम हेतु उच्च एवं तकनीकी, व्यावसायिक शिक्षा तथा उससे सम्बन्धित आनुषंगिक विषयों से सम्बन्धित सुविधाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदान करना;

- (घ) शिक्षा के उन्नयन एवं प्रसार हेतु सूचना की अन्य पारम्परिक एवं आधुनिक माध्यमों के द्वारा शिक्षा के अवसर जनसंख्या के एक बड़े वर्ग को प्रदान करना, साथ ही भलाई के लिए दूरस्थ शिक्षा को भी बढ़ावा देना। उच्च शिक्षा में वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली, पारम्परिक शिक्षा प्रणाली के साथ जोड़कर इस देश में शिक्षा को नये आयाम तक पहुँचाना;
- (ङ) उपरोक्त (ख) में उल्लेखित पाठ्यक्रमों के लिए दूरस्थ शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करना तथा शिक्षा उन्नयन के कार्यक्रमों को निरन्तर बढ़ावा देना।
- (च) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं सम्बन्धित राज्य सरकार की सहमति से अन्य राज्यों में परेसर की स्थापना करना।

(2) अनुसंधान और विकास केन्द्रों की स्थापना करना, जिसका उद्देश्य उच्च तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा के विकास एवं उत्थान के क्षेत्र में इन्जीनियरिंग, आर्किटेक्चर, तकनीकी, कम्प्यूनिक्शन, पर्यावरण, विधि एवं विधिक शिक्षा, प्रबन्धन कम्प्यूटर एप्लीकेशन, लाइफ साइंसेज, कृषि विज्ञान, एप्लाइड साइंसेज, सामाजिक विज्ञान, ह्यूमनिटिज, आर्ट्स, कामर्स, मेडिसिन, न्टीस्ट्री, पैरा-मैडिकल, फार्मेसी, जर्नलिज्म, मॉस कम्प्यूनिक्शन, बॉयो-टेक्नॉलॉजी, रेन साइंसेज, पेट्रोलियम स्टडीज, सौर ऊर्जा, होटल मैनेजमेन्ट व हॉरिस्टेलिटी और व्यावसायिक शिक्षा अर्थात् बी०ए०, एम०ए०, बी०पी०ए०, शोध व प्रशिक्षण कार्यक्रमों और ऐसे अन्य कार्यक्रम हेतु डिप्लोमा, डिग्री, प्रदान करने तथा पी०एच०डी०, डी०फिल, डी० लिट०, डी०एस०सी० से सम्बन्धित अनुसंधान की उन्नत सुविधायें प्रदान करना जो उत्तराखण्ड राज्य के क्षेत्राधिकार में हैं :-

- (व) मानवता के उन्नयन के लिये पूरे विश्व में फैले हुये इस प्रकार की गतिविधियाँ जो पारम्परिक, संस्थागत, दूरस्थ माध्यमों के द्वारा शिक्षा देना व अनुसंधान की सुविधायें बिना किसी जाति, रंग, वर्ण एवं वर्ग में भेदभाव किये प्रदान करना;
- (ख) मौलिक तथा मानवीय ज्ञान की वृद्धि एवं प्रसार हेतु प्रोत्साहित करना, उन क्षेत्रों में शिक्षा, दिशा निर्देश, प्रशिक्षण प्रदान करना, जो इसके लिये उपयुक्त समझे जायें।
- (ग) ज्ञान की उन शाखाओं में शिक्षण, निर्देशन एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराना जिनमें वह उपयुक्त समझे।

विश्वविद्यालय के  
कर्तव्य व शक्तियाँ

9. विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ होगी; अर्थात् :-

(1) विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों/विभागों में आधुनिक विषयों को केन्द्रित करके ऐसे दिशा-निर्देश प्रदान करना, जिसमें प्रत्येक संकाय उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में विकसित हो तथा संबंधित सभी विषयों में अनुसंधान एवं ज्ञान के अभिवर्धन और प्रसार का प्राविधान करना।

(2)(क) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ऐसी अन्य समस्त गतिविधियाँ सम्पादित करना, जो आवश्यक अथवा साध्य हो;

(ख) ऐसे व्यक्तियों के लिए परीक्षाएँ आयोजित करना तथा उन्हें उपाधियों या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें संस्थित और प्रदान करना; अर्थात् :-

(1) ऐसे व्यक्तियों के लिये परीक्षाएँ आयोजित करना तथा उन्हें उपाधियों या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें संस्थित और प्रदान करना;

(2) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय में कोई पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना;

(3) परिनियमों/प्राविधानों में अभिकथित रीति से और शर्तों के अधीन मानद उपाधियों, या अन्य शैक्षिक विशेषतायें प्रदान करना;

(4) परिनियमों के अनुसार अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ तथा पुरस्कार संस्थित एवं प्रदान करना;

(5) ऐसी फीस, बिल, बीजक की मांग करना और प्राप्त करना, प्रभार संग्रह करना, जो यथास्थिति, परिनियमों या नियमों द्वारा नियत किया जायें;

(6) छात्रों एवं कर्मचारियों के लिये शिक्षा के अतिरिक्त पाठ्येत्तर अन्य किया-कलापों का प्राविधान करना;

(7) शिक्षा के प्रोत्साहन का उपबन्ध करना, जिसमें उच्च, तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा के विकास एवं उत्थान के क्षेत्र में इन्जीनियरिंग, आर्किटेक्चर, तकनीकी, कम्यूनिक्शन, पर्यावरण, विधि एवं विधिक शिक्षा, प्रबन्धन, कम्यूटर एप्लीकेशन, लाइफ साइंसेज, कृषि विज्ञान, एप्लाइड साइंसेज, सामाजिक विज्ञान, ह्यूमनिटिज, आर्ट्स, कामर्स, मेडिसिन, डेन्टिस्ट्री, पैरा-मैडिकल, फार्मेसी, जर्नलिज्म, मॉस कम्यूनिक्शन, बॉयो-टेक्नोलॉजी, मैरिन साइंसेज, पेट्रोलियम स्टडीज, सौर ऊर्जा, होटल मैनेजमेन्ट व हॉस्पिटैलिटी और व्यवसायिक शिक्षा अर्थात् बी0एड0, एम0एड0, बी0पी0एड0, शोध व प्रशिक्षण कार्यक्रमों और ऐसे अन्य कार्यक्रम हेतु डिप्लोमा, डिग्री, प्रदान करने तथा पी0एच0डी0,

- डी०फिल, डी०लिट०, डी०एस०सी० से सम्बन्धित अनुसंधान की उन्नत सुविधायें प्रदान करना;
- (8) विश्वविद्यालय अथवा संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों में संकाय अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करना;
- (9) सोसाइटी की पूर्व अनुमति से विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों और कैरियर एकेडमी सेन्टर्स के प्रयोजनार्थ संपत्ति और किसी प्रकार के उपहार प्राप्त करना तथा सोसाइटी और विन्यास की सम्पत्तियों सहित किसी चल, अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण धारण, प्रबन्ध, अनुरक्षण और निपटारा करना;
- (10) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय, के छात्रों के लिये हाल, व्याख्यान दक्षों की स्थापना और उनका अनुरक्षण करना और निवास स्थानों एवं छात्र/छात्रावासों को निश्चित करना;
- (11) आवास एवं छात्र/छात्रावासों का नियन्त्रण, पर्यवेक्षक और समस्त श्रेणी के कर्मचारियों एवं छात्रों के मध्य अनुशासन पर नियन्त्रण रखना तथा आचर संहिता सहित ऐसे कर्मचारियों की सेवा शर्तें विनिर्दिष्ट करना;
- (12) शैक्षणिक, प्रशासनिक, प्रबन्धन एवं सहायक कर्मचारियों और अन्य आवश्यक लोगों का सृजन;
- (13) अन्य विश्वविद्यालय से ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिये सहकार्य या सहयोग करना, जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे;
- (14) डी०ई०सी० की पूर्वानुमति से दूरस्थ शिक्षा पद्धति और ऐसी रीति की व्यवस्था करना, जिससे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों के अनुसार दूरस्थ शिक्षा को आयोजित किया जा सके;
- (15) अध्यापक पाठ लेखकों, मूल्यांककों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए पुस्तक पाठ्यक्रम, अभिविन्यास पाठ्यक्रम, कार्यशालायें, संगोष्ठियाँ और अन्य कार्यक्रम आयोजित और संचालित करना;
- (16) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र, और कैरियर एकेडमी सेन्टर्स में विशिष्ट समितियों के माध्यम से एवं विभागीय परिषद् के अनुमोदन से प्रवेश के लिये मानक निर्धारित करना;



- (17) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र, और कैरियर एकेडमी सेन्टर्स में किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उत्तराखण्ड राज्य के छात्रों के लिये विशेष व्यवस्था करना;
- (18) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसार करने के लिये यथा आवश्यक ऐसे अन्य सभी कार्य करना चाहें वे उपर्युक्त शक्तियों के प्रासंगिक हो या न हो;
- (19) उच्च, तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा के विकास एवं उत्थान हेतु इन्जीनियरिंग, आर्किटेक्चर, तकनीकी, कम्यूनिकेशन, पर्यावरण, विधि एवं विधिक शिक्षा, प्रबन्धन, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, लाइफ साइंसेज, कृषि विज्ञान, एप्लाइड साइंसेज, सामाजिक विज्ञान, ह्यूमनिटिज, आर्ट्स, कामर्स, मेडिसिन, डेन्टिस्ट्री, पैरा-मैडिकल, फार्मसी, जर्नलिज्म, मॉस कम्यूनिकेशन, बॉयो-टेक्नोलॉजी, मैरिन साइंसेज, पेट्रोलियम स्टडीज, सौर ऊर्जा, होटल मैनेजमेन्ट व हॉस्पिटैलिटी और व्यावसायिक शिक्षा अर्थात् बी०एड०, एम०एड०, बी०पी०एड०, शोध व प्रशिक्षण कार्यक्रमों और ऐसे अन्य कार्यक्रम हेतु डिप्लोमा, डिग्री, प्रदान करने तथा पी०एच०डी०, डी०फिल, डी०लिट०, डी०एस०सी० से सम्बन्धित अनुसंधान आदि के लिये पाठ्यक्रम आरम्भ करना;
- (20) विश्वविद्यालय की शैक्षिक गतिविधियों, सोसाइटी की गतिविधियों से स्पष्टतः विलग होगी;
- (21) फिल्म कैसेट, टेप, वीडियो कैसेट, सी०डी०, वी०सी०डी० और अन्य सॉफ्टवेयर इत्यादि सहित शैक्षिक सामग्री तैयार करने की व्यवस्था करना;
- (22) अन्य विश्वविद्यालय, संस्थाओं एवं उच्च शिक्षा केन्द्रों की परीक्षाओं अथवा अध्ययन की अवधि (पूर्ण या आंशिक) को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं अथवा अध्ययन की अवधि के समतुल्य मान्यता प्रदान करना और उनको दी गई मान्यता किसी भी समय समाप्त करना;
- (23) व्यवस्थापक मण्डल के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर या उसके बिना विश्वविद्यालय के लिये धन जुटाना, संग्रह करना, स्वीकार करना और ऋण प्राप्त करना;
- (24) संविदा करना, उसका निष्पादन करना, उसमें परिवर्तन करना या उसे समाप्त करना;

(25) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिये विजिटिंग प्राचार्य, विशेषज्ञ प्राचार्य, विशेषज्ञ या ऐसे व्यक्तियों को संविदा के आधार पर नियुक्त करना।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी और उपधारा (1) व (2) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उक्त विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा प्रणालियों को प्रोत्साहित करने तथा ऐसी प्रणालियों के शिक्षण, मूल्यांकन और शोध मानक निर्धारित करने के लिए वे सभी उपाय करना विश्वविद्यालय का कर्तव्य होगा, जो वह उचित समझे और इस कार्य के निष्पादन हेतु विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों, अनुसंधान केन्द्रों और कैरियर एकेडमिक सैण्टर्स को चाहे उन्हें विशेषाधिकार स्वीकृत हुए हो अथवा नहीं अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा संस्थान को अनुदानों के आवंटन एवं संवितरण की शक्ति सहित ऐसी शक्तियां प्राप्त होंगी, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें।

विश्वविद्यालय में सभी वर्ग, जाति एवं लिंग की पहुँच होगी

10.

विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिये चाहे वो किसी भी वर्ग, जाति या लिंग के हों, के प्रवेश के लिए खुला रहेगा :

परन्तु यह कि इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा उत्तराखण्ड के विद्यार्थियों के लिये विशेष प्राविधान करने का प्रतिबन्ध है :

परन्तु यह और कि इस धारा के किसी बात के होते हुए भी यह नहीं समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, कैरियर एकेडमिक सैण्टर्स द्वारा किसी भी पाठ्यक्रम में परिनियमों द्वारा आधारित संख्या से अधिक छात्रों को प्रवेश देना अपेक्षित है।

राष्ट्रीय प्रत्यायन

11.

विश्वविद्यालय विभिन्न राष्ट्रीय प्रत्यायन संस्थाओं से मान्यता प्राप्त करेगा।

### अध्याय-3

#### विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के अधिकारी

12.

विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे; अर्थात् :-

(क) कुलाध्यक्ष (विजिटर);

(ख) कुलाधिपति;

- (ग) कुलपति;
- (घ) प्रति-कुलपति (प्रो-वाइस चांसलर);
- (ङ) संकायाध्यक्ष;
- (च) कुलसचिव;
- (छ) वित्त अधिकारी; और
- (ज) ऐसे अन्य अधिकारी, जिन्हें सांविधियों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।

कुलाध्यक्ष  
(विजिटर)

13. (1) उत्तराखण्ड का राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष होगा।
- (2) कुलाध्यक्ष, जब उपस्थित हो, तो उपाधियां एवं डिप्लोमा प्रदान करने के लिये आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेंगे।
- (3) कुलाध्यक्ष की निम्नलिखित शक्तियां होगी; अर्थात् :-
  - (क) विश्वविद्यालय के मामलों से सम्बन्धित किसी भी अभिलेख, पत्र या सूचना को मांगना,
  - (ख) कुलाध्यक्ष को प्राप्त सूचना के आधार पर यदि कुलाध्यक्ष द्वारा उसका समाधान हो जाता है कि कोई आदेश, कार्यवृत्त या निर्णय चाहे विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय, अधिनियम, विनियम अथवा नियमावली के अनुरूप नहीं है, तो वह ऐसे निर्देश जारी कर सकते हैं जिन्हें वह विश्वविद्यालय के हित में उचित समझे, निर्देश दे सकें और इस प्रकार जारी किये गये निर्देशों का सभी सम्बन्धितों द्वारा अनुपालन किया जायेगा।
- (4) मानद उपाधि या विशिष्टता प्रदान करने का प्रत्येक प्रस्ताव कुलाध्यक्ष के अनुमोदन के अधीन होगा।

कुलाधिपति

14. (1) सोसाइटी के अध्यक्ष विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति होंगे, जिनका कार्यकाल पाँच वर्ष की अवधि का होगा। तत्पश्चात सोसाइटी कुलाध्यक्ष की पूर्व सहमति से कुलाधिपति का कार्यकाल आगामी पाँच वर्षों के लिये विस्तारित किया जा सकेगा अथवा सोसाइटी के सदस्यों में से ही नये कुलाधिपति को नियुक्त किया जा सकेगा।
- (2) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय का सर्वोच्च अधिकारी होगा।
- (3) कुलाधिपति, गवर्निंग बॉडी की बैठक का संचालन करेगा तथा कुलाध्यक्ष की

अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोहों की अध्यक्षता करेगा तथा डिग्री प्रदान करेगा।

(4) कुलाधिपति की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी; अर्थात् :-

- (1) कुलपति को चुनना या हटाने का अधिकार
- (2) कुलपति की नियुक्ति का अधिकार
- (3) कुलपति को पदच्युत करने का अधिकार
- (4) ऐसी अन्य शक्तियाँ, जो इस अधिनियम में विहित की गयी हों।

कुलपति

15. (1) कुलाधिपति द्वारा उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार गठित समिति द्वारा संस्तुत तीन व्यक्तियों के पैनल में से तीन वर्ष की अवधि के लिये ऐसे निबंधनो और शर्तों पर जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जायें, कुलपति की नियुक्ति की जायेगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे; अर्थात् :-

(क) कुलाधिपति द्वारा नामित एक सदस्य;

(ख) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा मनोनीत तीन सदस्य, जिनमें से एक को व्यवस्थापक मण्डल द्वारा समिति के संयोजक के रूप में नामित किया जायेगा।

(3) समिति योग्यता के आधार पर कुलपति के पद के योग्य तीन व्यक्तियों का पैनल तैयार करेगी और प्रत्येक व्यक्ति की शैक्षिक योग्यताओं तथा अन्य विशिष्टताओं के संक्षिप्त विवरण के साथ उसे कुलाधिपति को भेज देगी।

(4) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा, जो कि विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियन्त्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को लागू करेगा।

(5) जहाँ अध्यापक की नियुक्ति से भिन्न कोई ऐसा अत्यावश्यक मामला हो, जिसमें तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो और उसके संबंध में कार्यवाही करने के लिए इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी सशक्त अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा इस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सके तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकेगा, जो वह उचित समझे।

(6) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों या निधमावली द्वारा अधिकथित किये जायें।

- (7) कुलाधिपति को सम्यक् जाँच के बाद कुलपति को हटाने का अधिकार प्राप्त है। कुलाधिपति जाँच के दौरान आरोपो की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये, जैसा वह उचित समझे, कुलपति को निलम्बित कर सकेंगे।

- |                                       |     |  |
|---------------------------------------|-----|--|
| प्रति-कुलपति<br>(प्रो-वाइस<br>चांसलर) | 16. | प्रति-कुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से ऐसी रीति से की जा सकेगी, जैसी कि परिनियमों में विहित की जायें और प्रति-कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।  |
| संकायाध्यक्ष                          | 17. | संकायाध्यक्षों की नियुक्ति कुलपति द्वारा कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से ऐसी रीति से की जायेगी कि परिनियमों द्वारा वे ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।   |
| कुलसचिव                               | 18. | <p>(1) कुलसचिव की नियुक्ति, कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से एवं ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर की जायेगी, जैसे कि विहित की जाये।</p> <p>(2) कुलसचिव, विश्वविद्यालय की ओर से सभी संविदायें करेगा और उन्हें हस्ताक्षरित करेगा।</p> <p>(3) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेखों को अभिप्रमाणित करने की शक्ति होगी और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो विहित किये जायें या कुलाधिपति या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो।</p> <p>(4) कुलसचिव, विश्वविद्यालय के अभिलेखों तथा सामान्य मुद्रा की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा और वह कुलाधिपति, कुलपति या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष ऐसी समस्त सूचनायें और दस्तावेज, जो उनके कार्य सम्पादन के लिये आवश्यक हों, को प्रस्तुत करने के लिये बाध्य होगा।</p> |
| वित्त अधिकारी                         | 19. | वित्त अधिकारी, कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से नियुक्त किया जायेगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग अथवा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो कि विहित किये जाये।  |
| अन्य अधिकारी गण                       | 20. | विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, सेवा के निबन्धन और शर्तें, तथा शक्तियाँ और कर्तव्य ऐसे होंगे, जो विहित किये जायें।   |

## अध्याय-4

## उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासियों के लिए उपबन्ध

- राज्य सरकार के  
स्थायी निवासियों  
के लिए उपबन्ध
21. (1) विश्वविद्यालय में संचालित सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु 40 प्रतिशत स्थान उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासियों के लिये उपबन्ध के लिये आरक्षित होंगे, यदि स्थायी निवासियों हेतु आरक्षित सीटें खाली रह जाती हैं, तो रिक्त सीटें अन्य राज्यों के योग्य छात्रों द्वारा भरी जायेगी।
- (2) विश्वविद्यालय में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों, जो प्रदेश के स्थायी निवासी हो, को निर्धारित शिक्षण शुल्क में 26 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।
- (3) प्रदेश के स्थायी निवासियों को, जो समूह "ग" व "घ" श्रेणी के पदों पर इन श्रेणियों में समस्त पदों पर नियुक्तियाँ की जायेगी।
- (4) प्रदेश के स्थायी निवासियों को शैक्षणिक संवर्ग की रिक्तियों में प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
- (5) राज्य सरकार की प्रवृत्त/समय-समय पर संशोधित आरक्षण नीति का विश्वविद्यालय द्वारा अनुपालन किया जायेगा।

## अध्याय-5

## विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

- विश्वविद्यालय के  
प्राधिकारी
22. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे; अर्थात् : -
- (क) व्यवस्थापक मण्डल
- (ख) प्रबन्धक मण्डल
- (ग) विद्या परिषद्
- (घ) वित्त समिति, और
- (ङ) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जिन्हें सांविधियों द्वारा विश्वविद्यालय के परिनियमों में प्राधिकारी घोषित किये जायेगे।

- व्यवस्थापक  
मण्डल व उसकी  
शक्तियाँ
23. (1) व्यवस्थापक मण्डल में निम्नलिखित अधिकारी होंगे :-
- (क) कुलाधिपति - अध्यक्ष
- (ख) कुलपति - सदस्य सचिव
- (ग) कुलाध्यक्ष (विजिटर) द्वारा नामित शिक्षाविद् - एक सदस्य
- (घ) राज्य सरकार द्वारा नामित - एक सदस्य
- (ङ) सोसाइटी द्वारा नामित - पाँच सदस्य

- (च) आमन्त्रित प्रख्यात शिक्षाविद् - तीन सदस्य
- (2) व्यवस्थापक मण्डल, विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासनिक संस्था होगी और उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी; अर्थात् :-
- (ए) विश्वविद्यालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीतियों का निर्धारण;
- (ख) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के विनिश्चयों का यदि वे ऐसे अध्यादेशों या परिनियमों या नियमावली के उपबन्धों के अनुरूप न हो का पुर्नावलोकन;
- (ग) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक प्रतिवेदन का अनुमोदन;
- (घ) नई अथवा अतिरिक्त परिनियमों को बनाना या पूर्व में बने परिनियमों अथवा नियमावलियों का संशोधन या निरसन;
- (ङ) विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक समापन के सम्बन्ध में विनिश्चय करना;
- (च) राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्तावों का अनुमोदन, और
- (छ) ऐसे निर्णय एवं उपाय करना, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के प्रभावी ढंग से निष्पादन के लिए वांछनीय पाये गये हैं।
- (3) व्यवस्थापक मण्डल की वर्ष में न्यूनतम दो बैठकें ऐसे समय और स्थान पर होंगी, जैसा कि कुलाधिपति उचित समझें।

प्रबन्ध मण्डल

24. (1) प्रबन्ध मण्डल में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

- (क) कुलपति
- (ख) रजिस्ट्रार
- (ग) सोसाइटी द्वारा नामित - पाँच सदस्य
- (घ) एक वर्ष की अवधि के लिये ज्येष्ठता के आधार पर चकानुक्रम से विश्वविद्यालय के - दो प्राध्यापक
- (ङ) कुलाधिपति द्वारा नामित - दो संकायाध्यक्ष
- (च) कुलपति, प्रबन्ध मण्डल का सभापति एवं कुलसचिव इसके सचिव होंगे।
- (2) प्रबन्ध मण्डल की शक्तियां एवं कृत्य वहीं होंगे, जो विहित किये जायें।

विद्या परिषद्

25. (1) विद्या परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे; अर्थात् :-

- (क) कुलपति - सभापति
- (ख) कुल सचिव - सचिव

(ग) ऐसे अन्य सदस्य — जैसा परिनियमों में विहित किया जाये।

- (2) विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक संस्था होगी और इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों, परिनियमों तथा नियमावली के अन्तर्गत रहते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों में सामान्य स्थापित करेगी और उनका सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

वित्त समिति

26. (1) वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(क) कुलपति — सभापति

(ख) वित्त अधिकारी — सचिव

(ग) ऐसे अन्य सदस्य, जो परिनियम में विहित किये जायें।

- (2) वित्त समिति विश्वविद्यालय की प्रमुख वित्तीय संस्था होगी, जो वित्तीय मामलों की देखभाल करेगी, और इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों, परिनियमों तथा नियमावली के अध्वधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के वित्तीय मामलों में समन्वय स्थापित करेगी एवं उनका सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

अन्य प्राधिकरण

27. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों का गठन, उनकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे, जैसे कि विहित किये जाये।

रिक्त के कारण  
कार्यवाही का  
अविधिमान्य न  
होना

28. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य न होगी कि प्राधिकरण के गठन में कोई रिक्त या त्रुटि विद्यमान थी।

#### अध्याय-6

#### परिनियम और नियमावली

परिनियम

29. इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्वधीन रहते हुये, विश्वविद्यालय तथा कर्मचारियों के सम्बन्ध में किसी विषय के लिये परिनियम और नियमावली द्वारा व्यवस्था की जा सकती है, जो निम्नवत है :-

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के कार्य सम्पादन और ऐसी इकाइयों के गठन की प्रक्रिया, जो इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट नहीं की गई है;

(ख) स्थाई विन्यास निधि, सामान्य निधि और विकास निधि का संचालन;

(ग) कुलपति, कुलसचिव और वित्त अधिकारी की नियुक्ति की शर्तें, तथा उनकी शक्तियां;



- (घ) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों, अध्यापको और कर्मचारियों की भर्ती व रीति और सेवा शर्तें;
- (ङ) विश्वविद्यालय और उसके अधिकारियों, संकाय के सदस्यों, कर्मचारियों और छात्रों के मध्य विवादों के निराकरण की प्रक्रिया;
- (च) विभागों और संकायों का सृजन, समउत्पादन और उसकी पुनर्संरचना;
- (छ) अन्य विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा की संस्थाओं के साथ सहयोग की रीति;
- (ज) मानद उपाधियों को प्रदान करने की प्रक्रिया;
- (झ) निःशुल्कता और छात्रवृत्तियां प्रदान करने के सम्बन्ध में उपबन्ध;
- (ञ) विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता की संख्या तथा ऐसे पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश की, जिसमें प्रवेश क्षमता का आरक्षण की प्रक्रिया भी सम्मिलित है तथा उत्तराखण्ड के विद्यार्थियों के लिये प्रवेश क्षमता के आरक्षण की प्रक्रिया;
- (ट) विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिये छात्रों से लिये जाने वाले शुल्क;
- (ठ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, फीस माफी, पदकों और पुरस्कारों की स्थापना;
- (ड) पदों का सृजन और समापन की प्रक्रिया;
- (ढ) अन्य मामले, जो विहित किये जाये।

परिनियम कैसे बनाये जायें 30. (1) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा बनाये गये प्रथम परिनियम राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये जायेंगे, जो उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के परिनियमों की प्राप्ति के दिनांक के दो माह के अन्दर अपना अनुमोदन दे सकेगी।

(2) जहाँ राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि में परिनियमों के अनुमोदन के सम्बन्ध में कोई विनिश्चय करने में असफल रहती है, वहाँ यह समझा जायेगा कि राज्य सरकार ने परिनियमों को अनुमोदित कर दिया है।

परिनियम संशोधन करने की शक्ति 31. व्यवस्थापक मण्डल, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा।

नियम 32. इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए, नियमों में निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिये उपबन्ध किये जा सकेंगे; अर्थात्:-

- (क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश, उनका नामांकन और इस रूप में बने रहना;
- (ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों और अन्य विशिष्टताओं के लिये निर्धारित किये जाने वाले पदव्यवस्था;
- (ग) उपाधियाँ और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टताओं को प्रदान करना;
- (घ) अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, अध्ययनवृत्तियाँ, पदक तथा पुरस्कार प्रदान करने की शर्तें;
- (ङ) परीक्षाओं का संचालन तथा परीक्षा लेने वाले निकायों, परीक्षकों, अन्तरीक्षकों, सारणीकारों तथा अनुसीमकों की नियुक्ति की शर्तें और रीति तथा उनके कर्तव्य;
- (च) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं में प्रवेश करने के लिये लिया जाने वाला शुल्क;
- (छ) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें;
- (ज) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाये रखना;
- (झ) अन्य सभी विषय, जिनके लिये इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों या परिनियमों में प्राविधान किया जायें।

नियमावली कैसे  
बनायी जायेगी

33. (1) नियमावली व्यवस्थापक मण्डल द्वारा बनायी जायेगी और इस प्रकार बनायी गई नियमावली राज्य सरकार को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जायेगी, जो कि नियमावली की प्राप्ति के दिनांक से 2 माह के अन्दर उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के साथ अपना अनुमोदन दे सकेगी।
- (2) जहाँ राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि में नियमावली के अनुमोदन के सम्बन्ध में कोई भी विनिश्चय करने में असमर्थ रहती है वहाँ यह समझा जायेगा कि राज्य सरकार ने नियमावली को अनुमोदित कर दिया है।

नियमावली को  
संशोधित करने  
की शक्ति

34. राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्वधीन रहते हुये और प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदन से विद्या परिषद् नये तथा अतिरिक्त नियम बना सकेगी या नियमावली को संशोधित या निरस्त कर सकेगी।

## अध्याय-7

### प्रकीर्ण

- कर्मचारियों की सेवा शर्तें
35. (1) प्रत्येक कर्मचारी की नियुक्ति एक लिखित संविदा के अधीन की जायेगी, जो विश्वविद्यालय के पास रखी जायेगी और उसकी एक प्रति सम्बन्धित कर्मचारी को दी जायेगी।
- (2) छात्रों या कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही विश्वविद्यालय परिनियमों में निहित प्रक्रिया के अनुसार नियंत्रित होगी।
- (3) विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी के बीच संविदा से उत्पन्न होने वाला कोई विवाद, कर्मचारी के अनुरोध पर माध्यस्थम अधिकरण को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसमें प्रबन्ध मण्डल द्वारा नियुक्त एक सदस्य, सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा निर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाधिपति द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक होंगे।
- (4) ऐसे मामलों में अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा।
- (5) अधिकरण के कार्यों को विनियमित करने की प्रक्रिया इस अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी विहित की जायें।
- अपील का अधिकार
36. विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, कैरियर एकेडमी सेन्टर्स के प्रत्येक कर्मचारी को विश्वविद्यालय या किसी ऐसे महाविद्यालय के प्राचार्य, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र, कैरियर एकेडमी सेन्टर के किसी अधिकारी या प्राधिकारी, यथास्थिति विनिश्चय के विरुद्ध प्रबन्ध मण्डल को ऐसे समय के अन्दर, जो विहित किया जायें, अपील करने का अधिकार होगा और उस पर प्रबन्ध मण्डल ऐसे विनिश्चय को, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्टि उपान्तरित या परिवर्तित कर सकेगा।
- भविष्य निधियां एवं बीमा
37. विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिये, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जो विहित की जायें, ऐसे भविष्य निधि या ऐसी बीमा योजना की व्यवस्था करेगा, जैसा वह उचित समझे।
- विश्वविद्यालय प्राधिकरण और निकायों के गठन के बारे में विवाद
38. यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के अधिकारी या अन्य निकाय का सदस्य के रूप में विधिवत निर्वाचित या नियुक्त किया गया है, या उसका सदस्य होने का हकदार है, तो वह विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

- समितियों का गठन 39. जब भी विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को अधिनियम या परिनियमों के अधीन समितियां नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गई हो, वहां ऐसी समितियों में अल्पतः उपस्थित के सिवाय, सम्बन्धित प्राधिकारी का कोई, शकस्त संतरण और ऐसे अन्य व्यक्तियों पर कोई हो, जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझे, सम्मिलित होंगे।
- आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति 40. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों में से किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति उसी रीति से की जायेगी जिस रीति से वह सदस्य, जिसकी रिक्ति की पूर्ति करनी हो, चुना गया हो, और रिक्ति की पूर्ति करने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिये होगा, जिसके लिये वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है/भरती है, सदस्य बना रहता है।
- सदभावनापूर्ण की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण 41. कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही, किसी ऐसे विषय के बारे में, जो इस अधिनियम या तदधीन बनाए गये परिनियमों या नियमों के उपबन्धों के अनुसार सदभावनापूर्वक की गई है, या की जाने के लिये आशायित है, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध संस्थित नहीं होगी।
- संक्रमणकालीन उपबन्ध 42. इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये परिनियमों के किन्हीं अन्य उपबन्धों के किसी बात के होते हुए भी :-
- (क) प्रथम कुलपति एवं प्रति-कुलपति (प्रो-वाइस चांसलर), यदि कोई है, कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा और उक्त अधिकारी तीन वर्ष की अवधि तक उस पर कार्य करेगा;
  - (ख) प्रथम कुलसचिव और प्रथम वित्त अधिकारी की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जायेगी, जो तीन वर्ष की अवधि तक उस पद पर कार्य करेंगे;
  - (ग) प्रथम व्यवस्थापक मण्डल में तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए पद-धारण करेगा;
  - (घ) प्रथम प्रबन्धक मण्डल, प्रथम वित्त समिति और प्रथम विद्या परिषद् का गठन, कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए किया जायेगा।

- स्थायी विन्यास निधि** 43. विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार के नाम से प्लेज्ड पाँच करोड़ रुपये की एक स्थायी विन्यास निधि राष्ट्रीयकृत बैंक की बैंक गारंटी के रूप में स्थापित की जायेगी, जिसकी अवधि पाँच वर्ष की होगी, उसके उपरान्त पुनः पाँच वर्ष के लिये नवीनीकरण कराया जाता रहेगा।
- सामान्य निधि** 44. (1) विश्वविद्यालय द्वारा एक सामान्य निधि स्थापित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी; अर्थात् :-  
 (क) विश्वविद्यालय द्वारा लिये जाने वाले सभी शुल्क;  
 (ख) किसी स्रोत से प्राप्त समस्त धनराशि;  
 (ग) सोसाइटी द्वारा किये गये सभी अंशदान; और  
 (घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान/दान।  
 (2) सामान्य निधि हेतु आशयित निधि का प्रयोग विश्वविद्यालय के सभी आवर्तक व्ययों की पूर्ति के लिये किया जायेगा।
- विकास निधि** 45. (1) विश्वविद्यालय द्वारा एक विकास निधि भी स्थापित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित निधियां जमा की जायेगी; अर्थात् :-  
 (क) विकास शुल्क, जिसे छात्रों से प्रभारित किया जाये;  
 (ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिये किसी अन्य स्रोत से प्राप्त समस्त धनराशि;  
 (ग) सोसाइटी द्वारा किये गये सभी अंशदान;  
 (घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निर्दिष्ट न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान/दान; और  
 (ङ) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त समस्त आय।  
 (2) समय-समय पर विकास निधि में जमा की गयी निधियों का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिए किया जायेगा।
- निधि व अनुसरण** 46. धारा 43, 44, और 45 के अधीन स्थापित निधियों को व्यवस्थापक मण्डल के सामान्य पर्यवेक्षण और नियन्त्रण के अध्यधीन रहते हुये, विहित रीति से विनियमित और अनुरक्षित किया जायेगा।

- वार्षिक प्रतिवेदन** 47. (1) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रबन्ध मण्डल के निर्देशों के अधीन तैयार किया जायेगा और उसे व्यवस्थापक मण्डल को अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किया जायेगा।
- (2) व्यवस्थापक मण्डल, अपनी बैठक में वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करने के लिये वह उसे उपाचार के साथ या बिना उपाचार के अनुमोदित कर सकता है।
- (3) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा विधिवत् अनुमोदित वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त हुये वित्त वर्ष के अनुवर्ती 31 दिसम्बर से पहले कुलाध्यक्ष (विजिटर) और राज्य सरकार को प्रेषित की जायेगी।

- लेखा व लेखा परीक्षा** 48. (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा और तुलन-पत्र प्रबन्धक मण्डल के निर्देशों के अधीन तैयार किये जायेगे और किसी भी स्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोद्भूत या प्राप्त समस्त धनराशि और ऐसी समस्त धनराशि की, जिनका संचितरण या भुगतान किया गया हो, विश्वविद्यालय द्वारा रखे गये लेखों में प्रविष्ट की जायेगी।
- (2) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं की प्रतिवर्ष लेखा-परीक्षक द्वारा लेखा-परीक्षा की जायेगी, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऑफ इण्डिया (आई0सी0ए0आई0) के सदस्य हो।
- (3) लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन के साथ वार्षिक लेखाओं और तुलन-पत्र की एक प्रति, प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के अनुवर्ती 31 दिसम्बर से काफी पहले व्यवस्थापक मण्डल को प्रस्तुत की जायेगी।
- (4) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा वार्षिक लेखों, तुलन-पत्र और लेखा-परीक्षा सम्बन्धी प्रतिवेदन पर अपनी बैठक में विचार किया जायेगा और व्यवस्थापक मण्डल उन्हें उन पर अपनी अभ्युक्तियों के साथ प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर से पहले कुलाध्यक्ष (विजिटर) और राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा।
- (5) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं और लेखा-परीक्षा पर राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देश विश्वविद्यालय के लिये बाध्यकारी होंगे।

- विश्वविद्यालय के अभिलेख को सिद्ध करने की रीति** 49. विश्वविद्यालय के कब्जों में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही या संकल्प या अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप से विधिवत् रखी गई किसी पूंजी की कोई प्रविष्टि यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित हो तो ऐसी रसीद,

आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज के या पंजिका प्रविष्ट होने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा और उसमें अभिलिखित विषय और संव्यवहार के लिये साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण किया जायेगा, जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गई हो, तो वह साक्ष्य के रूप में स्वीकार होगी।

विश्वविद्यालय का  
विघटन

50. (1) यदि सोसाइटी द्वारा विश्वविद्यालय के गठन और निगमन नियंत्रित करने वाली विधि के अनुसार उसके समापन का प्रस्ताव रखती हो तो उसे राज्य सरकार को कम से कम तीन माह का लिखित नोटिस देना होगा।
- (2) विश्वविद्यालय की प्रबन्ध प्रणालियों में कुप्रबन्ध, कुप्रशासन, अनुशासनहीनता, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति में विफल होना एवं आर्थिक कठिनाइयों की पहचान किये जाने पर राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के प्रबन्ध व्यवस्था को निर्देश जारी करेगी, जिनका ऐसी समय सीमा के अधीन जैसी विहित की जाये, अनुपालन न होने पर विश्वविद्यालय के परिसमापन का निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार में निहित होगा।
- (3) विश्वविद्यालय का परिसमापन ऐसी रीति से किया जायेगा, जो इस विषय में राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाये :

परन्तु यह कि उसके लिये सोसाइटी को 'कारण बताओ नोटिस' के लिए समुचित अवसर प्रदान किये बगैर ऐसी कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की जायेगी।

- (4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, भारतीय विधिज्ञ परिषद् और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से परामर्श करके सोसाइटी द्वारा विश्वविद्यालय के विघटन के प्रस्तावित दिनांक से और जब तक नियमित पाठ्यक्रमों में छात्रों का अन्तिम बैच, अपने पाठ्यक्रमों को ऐसी रीति से पूरा न कर लें, विश्वविद्यालय के प्रशासन की ऐसी व्यवस्था करेगा, जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जाये।
- (5) विश्वविद्यालय के विघटन पर सभी सम्पत्ति एवं दायित्व प्रायोजित संस्था (प्रमोटिंग सोसाइटी) में निहित हो जायेगी।

विश्वविद्यालय के 51. (1) धारा 50 के अधीन विश्वविद्यालय का प्रबन्ध ग्रहण करने की अवधि के  
विघटन के समय दौरान उसके प्रशासन के लिये होने वाले व्यय स्थायी विन्यास निधि,  
सामान्य निधि या निर्यात निधि से पूरा किया जायेगा।

(2) यदि धारा (1) के अधीन प्रबन्ध ग्रहण करने की अवधि के दौरान व्यय की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है, तो ऐसे व्यय की पूर्ति विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों अथवा आस्तियों के निस्तारण द्वारा की जा सकती है।

कठिनाईयों का 52. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न  
निसंकरण हो तो राज्य सरकार, अधिसूचना या आदेश द्वारा, ऐसे प्राविधान कर सकती है, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और जो कठिनाईयों को दूर करने के लिये उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परन्तु यह कि उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं दिया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।

निरसन और 53. (1) उत्तरांचल विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2012 इसके द्वारा निरसित किया जाता  
अपवाद है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

डी० जी० गैरोला,  
प्रमुख सचिव।



No. 59/XXXVI(3)/2013/64(1)/2012

Dated Dehradun, February 15, 2013

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttaranchal University Act, 2012' (Adhiniyam Sankhya 11 of 2013).

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 13 February, 2013.

**The Uttaranchal University Act, 2012**

**[Uttarakhand Act No. 11 of 2013]**

An

Act

to establish and incorporate a university in the name of Uttaranchal University at Dehradun by Sushila Devi Centre for Professional Studies and Research (A society registered under Societies Registration Act, 1860 at Dehradun) to develop and promote Higher Education, Technical and Professional Education in the field of Engineering, Architecture, Technology, Communication, Environment, Law and Legal Education, Management, Computer Application, Life Sciences, Agricultural Sciences, Applied Sciences, Social Sciences, Humanities, Arts, Commerce, Medicine, Dentistry, Para-medical, Pharmacy, Journalism, Mass Communication, Bio-Technology, Marine Sciences, Petroleum Studies, Energy Studies, Solar Energy, Hotel Management and Hospitality and Professional Education meaning B.Ed., M.Ed., B.P.Ed., research and training programmes and such other programmes or field declared to be such by Gazette Notification by the Central Government, in consultation with Indian Ayurvedic Council, Indian Dental Science Council, Indian Pharmacy Council, National Teachers Training Council, University Grants Commission, Bar Council of India, Distance Education Council and other regulatory Council related to Profession Education for the award of Diploma, Degree and Research leading to the award of Ph.D., D. Phil, D.Lit., D.Sc. and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by Uttarakhand State Legislature in the Sixty-fourth year of the Republic of

**CHAPTER-I****Preliminary**

- Short title and Commencement** 1. (1) This Act may be called Uttaranchal University Act, 2012.
- (2) It shall be deemed to have come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.
- Definitions** 2. In this Act, unless the context otherwise required :-
- (a) “Academic Council” means the Academic Council of the University;
  - (b) “Board of Management” means the management board of University;
  - (c) “Bar Council of India” means Bar Council of India Rules made under Advocates Act, 1961;
  - (d) “Board of Governors” means the Board of Governors of the University;
  - (e) “Career Academy Centre” means a centre established, maintained or recognized by the University for the purpose of receiving telecast, e-mail, internet, interactive talk back, conducting training, organize lectures, seminars and workshops, advising, counseling or rendering any other assistance required by the students with the prior approval of the State Government;
  - (f) “Chancellor” means the Chancellor of the University;
  - (g) “Campus” means a campus of University maintained and conducted on the basis of regulations by the University;
  - (h) “Constituent College” means a college or institution maintained by the University;
  - (i) “Council for Technical Education” means the All India Council for Technical Education established under section 3 of the All India Council for Technical Education Act, 1987;
  - (j) “Distance Education System” means the system of imparting education through any means of information technology and communication such as broadcasting, telecasting, correspondence course, seminar, contact program or a combination of any two or more such means within the state.

- (k) **"Employee"** means employee appointed by the University and includes teachers and other staff of the University or a constituent college;
- (l) **"Faculty"** means faculty of the University;
- (m) **"Finance Committee"** means the Finance Committee of the University;
- (n) **"Government"** means the Government of Uttarakhand;
- (o) **"Hall"** or **"Hostel"** means a unit of residence for students maintained or recognized by the University or a constituent college;
- (p) **Sushila Devi Centre for Professional Studies and Research Society** means Society registered under Societies Registration Act, 1860 having registered office at Arcadia Grant, P.O-Chandanwari, Premnagar, Dehradun-248007, Uttarakhand;
- (q) **"Prescribed"** means prescribed by the Statutes;
- (r) **"Director"** of campus or **"Principal"** in relation to a constituent college, means the Head of the campus or constituent college and includes, where there is no Principal, the Vice-Principal or any other person for the time being appointed to act as Principal;
- (s) **"Registrar"** means the Registrar of the University;
- (t) **"Regional Centre"** means a centre established or maintained by the University for the purpose of co-ordination and supervising the work of Study Centers in any region and for performing such other functions as may be conferred on such centre by the Board of Management;
- (u) **"State"** means the State of Uttarakhand;
- (v) **"Statutes"** and **"Rules"** mean, respectively, the Statutes and Rules of the University;
- (w) **"Study Centre"** means a centre established, maintained or recognized by the University for the purpose of advising, counseling or for rendering any other assistance required by the students;
- (x) **"Teacher"** means a Professor, Associate Professor, Assistant Professor/Lecturer or such other person as may be appointed for imparting instruction, conducting research in the University or in a Constituent College and includes the Principal of Constituent

- (y) "UGC" means University Grants Commission established under University Grants Commission Act, 1956;
- (z) "University" means the Uttaranchal University established under this Act ;
- (za) "Visitor" means the Visitor of the University.

## CHAPTER-II

### The University and its Objects

**Proposal for  
the establish-  
ment of the  
University**

3. (1) Sushila Devi Centre for Professional Studies and Research Society, Dehradun, Uttarakhand, hereinafter referred to as Society shall have the right to establish the University in accordance with the provisions of this Act.
- (2) An application containing the proposal to establish a University been made to the State Government by the Society. The proposal contained the following particulars; namely:-
  - (a) the objects of the University along with the details of the Society;
  - (b) the extent and status of the University and the availability of land;
  - (c) the nature and type of programmes of study and research to be undertaken by the University;
  - (d) the nature of facilities, courses of study and research proposed to be started;
  - (e) the campus development such as buildings, equipment and structural amenities;
  - (f) the phased outlays of a capital expenditure for a period of the next five years;
  - (g) the item-wise recurring expenditure, sources of finance and estimated expenditure for each student;
  - (h) the scheme for mobilizing resources and the cost of capital thereto and the manner of repayments to each sources;
  - (i) the scheme of generation of funds internally through the recovery of fee from students, revenues anticipated from consultancy and other activities relating to the objects of the University and other anticipated incomes;

- (j) the details of expenditure on unit cost, the extent of concessions or rebates in fee, free ship and scholarship for students belonging to economically weaker sections and the fee structure indicating varying rate of fee, if any, that would be levied on non resident Indians and students of other nationalities;
- (k) the years of experience and expertise in the concerned discipline at the command of the Society as well as the financial resources;
- (l) the system for selection of students to the courses of study at the University; and
- (m) status of fulfillment of such other conditions as may be required by the State Government to be fulfilled before the establishment of the University.

**Establishment  
of University**

4. (1) Where the State Government, after such inquiry is satisfied that Society has fulfilled the conditions, norms and requirements for establishments of Uttaranchal University, hence a University to be known as Uttaranchal University is established.
- (2) The University shall be body corporate by the name Uttaranchal University and shall have a perpetual succession and a common seal and shall sue and be sued by its name.
- (3) (a) The Headquarter of the University shall be at Dehradun, Uttarakhand. The University can open its additional campus, regional centres, study centres from time to time as per requirement provided the norms of UGC and other statutory bodies are followed. The University may open its second campus within the State after five years with the approval of the State Government. However the University may open additional campus any time in hilly region located at an altitude greater than 2500 feet;
- (b) However, to establish new faculties where additional land would be required as per norms of the concerned regulatory body, the University shall establish a split campus either adjoining or nearby within Dehradun.

- (4) The Chancellor, the Vice-Chancellor, members of the Board of Governors, members of the Board of Management and the Academic Council for the time being holding office as such in the University so established under sub section (2) shall constitute a body corporate and can sue and be sued in the name of the University.
- (5) On the establishment of the University under sub-Section (2) the land and other movable and immovable properties acquired, created, arranged or built for Law College, Dehradun, Uttaranchal Institute of Technology, Uttaranchal Institute of Management and Uttaranchal Institute of Business Studies by the Society shall vest in the University.
- (6) The available land, building; various Department/faculties of the University shall be must according the standard of Apex Regulatory Bodies.
- (7) The land and building should be available with the private University as per the norms of Apex Regulatory bodies for different courses separately.
- |  |           |  |
|--|-----------|--|
| <p>University not to be entitled to financial assistance</p> | <p>5.</p> | <p>The University shall be self-financing and shall neither make a demand nor shall be entitled to any grant in-aid or any other financial aid from the State Government or any other body or corporation owned or controlled by the State Government.</p>   |
| <p>No Power to affiliate any institution</p>                 | <p>6.</p> | <p>The University may have Constituent Colleges, Regional Centre, Study Centre, Research Centre and Career Academy Centre within State after prior approval of State Government/UGC after five years of establishment of University but shall have no power to admit any other college or institution to the privileges of affiliation.</p>                                      |
| <p>Effect of the Establishment of the University</p>         | <p>7.</p> | <p>On and from the date of commencement of this Act :-</p> <p>(a) Any reference to Law College Dehradun affiliated to Hemwati Nandan Bahuguna Central University, Srinagar Garhwal; Uttaranchal Institute of Technology, Uttaranchal Institute of Management and Uttaranchal Institute of Business Studies affiliated to Uttarakhand Technical University and Hemwati Nandan</p> |

Bahuguna Central University, Srinagar, Garhwal in any contract or other instrument shall be deemed as a reference to Uttaranchal University, established under this Act;

- (b) Every person employed in Law college Dehradun, Uttaranchal Institute of Technology, Uttaranchal Institute of Management and Uttaranchal Institute of Business Studies immediately before the commencement of this Act shall hold his office or service in Uttaranchal University established under this Act by the same tenure, at the same remuneration and upon the same terms and conditions with the same rights and privileges as to leave, provident fund and other matters as he/she would have at the same if this Act have not been enacted and shall continue to do so unless and until his/her employment is terminated or until such tenure, remuneration and terms and conditions are duly altered by the Statutes :

Provided that if the alteration so made is not acceptable to such employee, his employment may be terminated by the university in accordance with the terms of the contract with the employee or, if no provision is made therein on this behalf, on payment, to him by the university, of compensation equivalent to three months remuneration in case of permanent employees and one month remuneration in case of other employees :

Provided further that every person employed before the commencement of this Act, pending the execution of a contract shall be deemed to be appointed in accordance with the provisions of a contract consistent.

**Objects of the University**

8. (1) The objectives for which the University is established are as follows :-

- (a) to advance learning, disseminate knowledge and provide provisions for teaching, training in the fields of Engineering, Architecture, Technology, Communication, Environment, Law and Legal Education, Management, Computer Application, Life Sciences, Agricultural Science, Applied Sciences, Social

Sciences, Humanities, Arts, Commerce, Medicine, Dentistry, Para-medical, Pharmacy, Journalism, Mass Communication, Bio-Technology, Marine Sciences, Petroleum Studies, Energy Studies, Solar Energy, Hotel Management and Hospitality, and Professional Education meaning B. Ed., M. Ed., B.P.Ed., research and training programmes and such other programmes or fields declared to be such by Gazette Notification by the Central Government, in consultation with Indian Ayurvedic Council, Indian Dental Science Council, Indian Pharmacy Council, National Teachers Training Council, University Grants Commission, Bar Council of India, Distance Education Council and other regulatory Council related to Professional Education for the award of Diploma, Degree and Research leading to the award of Ph. D., D. Phil., D.Sc. and for matters connected thereto;

- (b) to establish campuses, constituent colleges of Engineering, Architecture, Technology, Communication, Environment, Law and Legal Education, Management, Computer Application, Life Sciences, Agricultural Science, Applied Sciences, Social Sciences, Humanities, Arts, Commerce, Medicine, Dentistry, Para-medical, Pharmacy, Journalism, Mass Communication, Bio-Technology, Marine Sciences, Petroleum Studies, Energy Studies, Solar Energy, Hotel Management and Hospitality, and Professional Education meaning B.Ed., M.Ed., B.P.Ed., research and training programmes and such other programmes or field declared to be such by Gazette Notification by the Central Government, in the consultation with Indian Ayurvedic Council, Indian Dental Science Council, Indian Pharmacy Council, National Teachers Training Council, University Grants Commission, Bar Council of India, Distance Education Council and other regulatory Council related to Professional Education for the award of Diploma, Degree and Research leading to the award of Ph.D., D. Phil., D.Sc. and for matters connected



thereto conforming to the prescribed courses recognized by the UGC and AICTE reserving the right to start other Degree, Diploma and certificate course in furtherance of its objectives;

- (c) to develop, design and teach innovative, flexible professional and technical courses so as to provide best possible education of the highest academic standards in the fields of Engineering, Architecture, Technology, Communication, Environment, Law and Legal Education, Management, Computer Application, Life Sciences, Agricultural Science, Applied Sciences, Social Sciences, Humanities, Arts, Commerce, Medicine, Dentistry, Para-medical, Pharmacy, Journalism, Mass Communication, Bio-Technology, Marine Sciences, Petroleum Studies, Energy Studies, Solar Energy, Hotel Management and Hospitality and Professional Education meaning B.Ed., M.Ed., B.P.Ed., research and training programmes and such other programmes or field declared to be such by Gazette Notification by the Central Government, in consultation with Indian Ayurvedic Council, Indian Dental Science Council, Indian Pharmacy Council, National Teachers Training Council, University Grants Commission, Bar Council of India, Distance Education Council and other regulatory Council related to Professional Education for the award of Diploma, Degree and Research leading to the award of Ph. D., D. Phil., D.Sc. and for matters connected thereto comparable to global standards;
- (d) to advance and disseminate learning and knowledge by multimedia and other information and communication technology and also conventional means, and to provide opportunities for education to a larger segment of the population and to promote the educational well being of the society in general, to encourage the distance education and alternate learning systems in conjunction with the conventional educational pattern of the country and to co-ordinate and determine the standards in such systems.

(e) to establish constituent centre for distance education and continuing education programmes as given in clause (b) above.

(f) to set up campus out of the State, with the consent of UGC and the concerned State Government;

(2) To establish Research and Development centre to promote, Engineering, Architecture, Technology, Communication, Environment, Law and Legal Education, Management, Computer Application, Life Sciences, Agricultural Science, Applied Sciences, Social Sciences, Humanities, Arts, Commerce, Medicine, Dentistry, Para-medical, Pharmacy, Journalism, Mass Communication, Bio-Technology, Marine Sciences, Petroleum Studies, Energy Studies, Solar Energy, Hotel Management and Professional Education meaning B. Ed., M. Ed., B.P.Ed., research and training programmes and such other programmes or field declared to be such by Gazette Notification by the Central Government, in consultation with Indian Ayurvedic Council, Indian Dental Science Council, Indian Pharmacy Council, National Teachers Training Council, University Grants Commission, Bar Council of India, Distance Education Council and other regulatory Council related to Professional Education for the award of Diploma, Degree and Research leading to the award of Ph.D., D. Phil., D.Sc. and for matters connected thereto within the jurisdiction of the State of Uttarakhand.

(a) to benefit the humanity spread all over the world by organizing activities in conventional residential and distance mode to carry out teaching and research without any discrimination on the grounds of caste, colour and creed;

(b) to encourage and carry out fundamental and applied research for the advancement and dissemination of knowledge;

(c) to provide education, instructions and training in such branches of knowledge, as it may deem appropriate.

**Powers and  
Duties of the  
University**

9. The University shall have following powers and duties; namely-
- (1) to provide for instruction in such branches of learning as the University may think fit with particular emphasis on modern

subjects aiming at becoming centres of excellence in each such areas, and to make provision for research for the advancement and dissemination of knowledge;

(2) (a) to carry out all such other activities as may be necessary or feasible in furtherance of the object of the University.

(b) to confer degrees or other academic distinction and establish grants, conduct examination for such persons: -

(1) to hold examinations for, and to institute grant and confer degrees or other academic distinctions to, and on, persons, who-

(2) to pursue a course of study in the University or in a Constituent College;

(3) to confer honorary degree or other academic distinctions in the manner and under conditions laid down in the Statutes/ provisions;

(4) to institute and award fellowships, scholarships and prizes etc. in accordance with the Statutes;

(5) to demand and receive such fees, bills invoices and collect charges as may be fixed by the Statutes or rules, as the case may be;

(6) to make provisions for extra curricular activities for students and employees;

(7) to make provisions for promotion of education in the field of Engineering, Architecture, Technology, Communication, Environment, Law and Legal Education, Management, Computer Application, Life Sciences, Agricultural Science, Applied Sciences, Social Sciences, Humanities, Arts, Commerce, Medicine, Dentistry, Para-medical, Pharmacy, Journalism, Mass Communication, Bio-Technology, Marine Sciences, Petroleum Studies, Energy Studies, Solar Energy, Hotel Management and Hospitality, and Professional Education meaning B. Ed., M. Ed., B.P.Ed., research and training programmes and such other programmes

or field declared to be such by Gazette Notification by the Central Government, in consultation with Indian Ayurvedic Council, Indian Dental Science Council, Indian Pharmacy Council, National Teachers Training Council, University Grants Commission, Bar Council of India, Distance Education Council and other regulatory Council related to Professional Education for the award of Diploma, Degree and Research leading to the award of Ph.D., D. Phil., D.Sc. and provide matters thereto;

- (8) to make appointments of faculty, officers and employees of the University or a Constituent College;
- (9) to receive donations and gifts of any kind and to acquire, hold, manage, maintain and dispose of any movable or immovable property, including Society's endowment properties for the purpose of the University or a Constituent College or Research Centre, Study Centre and Career Academy Centre with the prior permission of the Society;
- (10) to institute and maintain halls, Lecture Theaters and to recognize places of residence and Hostel's for students of the University or its Constituent College;
- (11) to supervise and control the residence, Hostels and to regulate the discipline among the students and all categories of employees and to lay down the conditions of service of such employees, including their Code of Conduct;
- (12) to create academic, administrative, managerial and support staff and other necessary posts;
- (13) to co-operate or collaborate with other Universities in such manner and for such purposes as the University may determine from time to time;
- (14) to provide distance education system and the manner in which distance education in relation to the academic programmes of the University may be organized.
- (15) to organize and conduct refresher courses, orientation courses

- workshops, seminars and other programs for teachers, lesson writers, evaluators and other academic staff;
- (16) to determine standards of admission to the University or a Constituent College, Regional Centre, Study Centre, Career Academy Center with the approval of Academic Council;
  - (17) to make special provision for students belonging to the state of Uttarakhand for admission to the courses of the University or in a Constituent College, Regional Centre, Study Centre, Research Centre and Career Academy Centre;
  - (18) to do all such other acts or things whether incidental to the powers aforesaid or not, as may be necessary to further the objects of the University;
  - (19) to prescribe such courses for Engineering, Architecture, Technology, Communication, Environment, Law and Legal Education, Management, Computer Application, Life Sciences, Agricultural Science, Applied Sciences, Social Sciences, Humanities, Arts, Commerce, Medicine, Dentistry, Para-medical, Pharmacy, Journalism, Mass Communication, Bio-Technology, Marine Sciences, Petroleum Studies, Energy Studies, Solar Energy, Hotel Management and Hospitality, and Professional Education meaning B.Ed., M.Ed., B.P.Ed., research and training programmes and such other programmes or field declared to be such by Gazette Notification by the Central Government, in consultation with Indian Ayurvedic Council, Indian Dental Science Council, Indian Pharmacy Council, National Teachers Training Council, University Grants Commission, Bar Council of India, Distance Education Council and other regulatory Council related to Professional Education for the award of Diploma, Degree and Research leading to the award of Ph. D., D. Phil., D.Sc. and provide for matters thereto.
  - (20) to clearly set apart Academic Activities of the University from the activities the society;

- (21) to provide for the preparation of instructional materials, including films, cassettes, tapes, CD, VCD, and other softwares;
  - (22) to recognize examinations of, or periods of study (whether in full or in part) at other Universities, institutions or other places of higher learning as equivalent to examinations or periods of study in the University and to withdraw such recognition at any time;
  - (23) to raise, collect, subscribe and borrow with the approval of the Governing Body whether on the security of the University, money for the purpose of the University;
  - (24) to enter into, carry out, vary or cancel contracts.
  - (25) to appoint on contract or otherwise visiting Professors, Emeritus Professors, Consultants and such other persons who may contribute to the advancement of the objects of the University.
- (3) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force but without prejudice to the provisions of sub-section (1) and (2), it shall be the duty of the University to take all such steps as it may deem fit for the promotion of the Open University and distance education system and for the determination of standards of teaching, evaluation and research in such system and for the purpose of performing this function, the University shall have such powers, including the power to allocate and disburse grants to colleges, Regional Centers and Study Centres and Career Academy Centres, whether admitted to its privileges or not or to any other University or institution of higher education learning, as may be specified by the Statutes.

University . 10.  
Open to all  
Classes, Castes,  
Colour, Creed  
and Gender

The University shall be open to all persons irrespective of class, caste, colour and creed or gender :

Provided that nothing in this section shall be deemed to prevent the University from making special provisions for

admission to students of the State of Uttarakhand :

Provided further that nothing in this section shall be deemed to require the University or Constituent Colleges or Regional Centre, Study Centre and Career Academy Centre to admit in any course of study a larger number of students than may be determined by the Statutes.

- |                               |            |   |
|-------------------------------|------------|---|
| <b>National Accreditation</b> | <b>11.</b> | The University will seek accreditation from respective national accreditation bodies. |
|-------------------------------|------------|---|

### CHAPTER-III

#### Officers of the University

- |                                   |            |   |
|-----------------------------------|------------|---|
| <b>Officers of the University</b> | <b>12.</b> | <p>The following shall be the officers of the University:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) the Visitor;</li> <li>(b) the Chancellor;</li> <li>(c) the Vice-Chancellor;</li> <li>(d) the Pro Vice-Chancellor;</li> <li>(e) the Deans of Faculties;</li> <li>(f) the Registrar;</li> <li>(g) the Finance Officer; and</li> <li>(h) such other officers as may be declared by the Statutes to be officers of the University.</li> </ul> |
|-----------------------------------|------------|---|

- |                    |            |  |
|--------------------|------------|--|
| <b>The Visitor</b> | <b>13.</b> | <p>(1) The Governor of Uttarakhand will be the Visitor of the University.</p> <p>(2) The Visitor shall, when present, preside at the Convocation of the University for conferring degrees and Diplomas.</p> <p>(3) The Visitor shall have the following powers; namely:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) to call for any paper or information relating to the affairs of the University;</li> <li>(b) on the basis of the information received by the Visitor, if he is satisfied that any Order, proceeding, or decision taken by any authority of the University is not in conformity with the Act, Statutes or Rules, he may issue such directions as he may deem fit in the interest of the University and the directions so issued shall be complied with by all concerned.</li> </ul> |
|--------------------|------------|--|

- (4) every proposal for the conferment of an honorary degree or distinction shall be subject to the approval of the Visitor.

The Chancellor 14. (1) The Chairman of Society will be the first Chancellor of the University whose tenure shall be for five years. Thereafter Society with prior concurrence of the Visitor would either extend his term for another five years or appoint new Chancellor from amongst its members.

- (2) The Chancellor shall be the head of the University.
- (3) The Chancellor shall preside at the meeting of the Governing Body and shall, when the Visitor is not present, preside at the convocation of the University for conferring degrees.
- (4) The Chancellor shall have the following powers, namely:-
- (a) to call for any information or record;
  - (b) to appoint the Vice-Chancellor;
  - (c) to remove the Vice-Chancellor;
  - (d) such other powers as may be prescribed by the statutes.

The Vice-Chancellor

15. (1) The Vice-Chancellor shall be appointed on such terms and conditions as may be prescribed by the Statutes for a term of three years by the Chancellor from a panel of three persons recommended by the Committee constituted in accordance with the provisions of sub-section (2).
- (2) The Committee referred to in sub-section (1) shall consist of the following persons; namely :-
- (a) one person nominated by the Chancellor;
  - (b) three nominees of the Board of Governors, one of whom shall be nominated as the convener of the committee by the Board of Governors.
- (3) The committee shall, on the basis of merit, prepare a panel of names of three persons suitable to hold the office of the Vice-Chancellor and forward the same to the Chancellor along with a concise statement showing the academic qualifications and other



distinctions of each person.

- (4) The Vice-Chancellor shall be the Principal Executive and Academic Officer of the University and shall exercise general supervision and control over the affairs of the University and give effect to the decisions of the authorities of the University.
- (5) Where any matter other than the appointment of a teacher is of urgent nature requiring immediate action and the same could not be immediately dealt with by any officer or the authority or other body of the University empowered by or under this Act to deal with it, the Vice-Chancellor may take such action as he may deem fit with the prior approval of the Chancellor.
- (6) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers and perform such other duties as may be laid down by the Statutes or the Rules.
- (7) The Chancellor is empowered to remove the Vice-Chancellor after due enquiry. It will be open to the Chancellor to suspend the Vice-Chancellor during enquiry depending upon the seriousness of the charges, as he may deem fit.

- |                                |     |  |
|--------------------------------|-----|--|
| <b>The Pro Vice-Chancellor</b> | 16. | A Pro Vice-Chancellor may be appointed by the Vice-Chancellor with approval of the Chancellor in such manner and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by Statutes.  |
| <b>Deans of Faculties</b>      | 17. | Deans of the faculties shall be appointed by the Vice-Chancellor with the approval of Chancellor in such manner and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by Statutes.   |
| <b>The Registrar</b>           | 18. | <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) The Registrar shall be appointed by the Chancellor in such manner and on such terms and conditions as may be prescribed.</li> <li>(2) All contracts shall be entered into and signed by the Registrar on behalf of the University.</li> <li>(3) The Registrar shall have the power to authenticate records on behalf</li> </ol> |

of the University and shall exercise such other powers and perform such other duties as may be prescribed or may be required from time to time, by the Chancellor or the Vice-Chancellor.

- (4) The Registrar shall be responsible for the due custody of the records and the common seal of the University and shall be bound to place before the Chancellor, the Vice-Chancellor or any other authority, all such information and documents as may be necessary for transaction of their business.

**The Finance Officer** 19. The Finance Officer shall be appointed by the Chancellor in such manner and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed.

**Other Officers** 20. The manner of appointment, terms and conditions of services and powers and duties of the other officers of the University shall be such as may be prescribed.

#### CHAPTER-IV

##### Provisions for Permanent Residents of Uttarakhand

- Provisions for Permanent Residents of Uttarakhand** 21. (1) For admission in various courses conducted by the University, 40 percent seats shall be reserved for the permanent resident of the State of Uttarakhand, if the reserve seats are vacant, then the said vacant seats may be filled by the eligible students of other States.
- (2) In tuition fee of various courses conducted by the University 26 percent rebate shall be given to the permanent residents of the State of Uttarakhand.
- (3) All posts of Group 'C' and 'D' employees shall be filled by the permanent residents of the State of Uttarakhand.
- (4) Preference shall be given to the permanent residents of the State in the appointment to the Academic Cadre.
- (5) University shall comply with the State Government reservation policy as amended and enforced from time to time.

## CHAPTER-V

### Authorities of the University

- Authorities of the University** 22. The following shall be the authorities of the University; namely:-
- (a) the Board of Governors;
  - (b) the Board of Management;
  - (c) the Academic Council;
  - (d) the Finance Committee; and
  - (e) such other authorities as may be declared by the Statutes to be the authorities of the University.

**The Board of Governors and its Powers**

23. (1) The Board of Governors shall consist :-
- (a) the Chancellor - Chairman;
  - (b) the Vice-Chancellor - Member Secretary;
  - (c) Academician nominated by the Visitor - One Member.
  - (d) Nominee of the State - One member;
  - (e) Nominated by the Society - Five Members
  - (f) Eminent invited academicians - Three Members.
- (2) The Board of Governors shall be the Principal governing body of the University and shall have the following powers; namely:-
- (a) to lay down policies to be pursued by the University;
  - (b) to review decisions of the other authorities of the University if they are not in conformity with the provisions of this Act, or the Statutes or the Rules;
  - (c) to approve the budget and annual report of the University;
  - (d) to make new or additional Statutes or amend or repeal the earlier Statutes and Rules;
  - (e) to take decision about voluntary winding up of the University;
  - (f) to approve proposals for submission to the State Government; and
  - (g) to take such decisions and steps as are found desirable for effectively carrying out the objects of the University.
- (3) The Board of Governors shall, meet at least two times in a year at such time and place as the Chancellor thinks fit.

- The Board of Management**      24. (1) The Board of Management shall consist :-
- (a) the Vice-Chancellor
  - (b) the Registrar
  - (c) five persons, nominated by the Society;
  - (d) two professors of the University, by rotation on the basis of seniority for a period of one year;
  - (e) two Deans of the faculties as nominated by the Chancellor;
  - (f) the Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Board of Management and the Registrar shall be the Secretary of the Board of Management.
- (2) The powers and functions of the Board of Management shall be such as may be prescribed.
- The Academic Council**      25. (1) The Academic Council shall consist of:-
- (a) the Vice-Chancellor - Chairman;
  - (b) the Registrar - Secretary
  - (c) such other members as may be prescribed in the Statutes.
- (2) The Academic Council shall be the Principal Academic Body of the University and shall, subject to the provisions of this Act, the Statutes and the Rules, co-ordinate and exercise general supervisions over the academic policies of the University.
- The Finance Committee**      26. (1) The Finance Committee shall consist of:-
- (a) the Chancellor - Chairman;
  - (b) the Finance Officer - Secretary;
  - (c) such other members as may be prescribed in the Statutes.
- (2) The Finance Committee shall be the principal financial body of the University to take care of the financial matters and shall, subject to the provisions of this Act, Statutes and Rules, co-ordinate and exercise general supervision over the financial matters of the University.
- Other Authorities**      27. The constitution, powers and functions of the other authorities of the University shall be such as may be prescribed.

- Proceedings** 28. No act or proceeding of any authority of the University shall be  
**not invalidated**  
**on account of**  
**vacancy** invalid merely by reason of the existence of any vacancy or defect in the constitution of the authority.

## CHAPTER-VI

### Statutes and Rules

- Statutes** 29. Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for any matter relating to the University and staff, as given below:-
- (a) The procedure for transaction of business of the Authorities of the University and the procedure of constitution of such units which is not specified in this Act ;
  - (b) The operation of the permanent endowment fund, the general fund and the development fund;
  - (c) The terms and conditions of appointment of the Vice-Chancellor, the Registrar and the Finance Officer and their powers and functions;
  - (d) The mode of recruitment and the conditions of service of the other officers, faculty members, employees of the University;
  - (e) The procedure for resolving disputes between the University and its officers, faculty members, employees and students;
  - (f) Creation, abolition or restructuring of departments and faculties;
  - (g) The manner of co-operation with other Universities or Institutions of higher education;
  - (h) The procedure for conferment of honorary degrees;
  - (i) Provisions regarding grant of free ships and scholarships;
  - (j) Number of seats in different courses of studies and the procedure of admission of students to such courses including reservation of seats for Uttarakhand students;
  - (k) The fee chargeable from students for various courses of studies;
  - (l) Institution of fellowships, scholarships, studentships, free ships, medals and prizes;
  - (m) Procedure for creation and abolition of posts;
  - (n) Other matters which may be prescribed.

Statutes how made	<p>30. (1) The first Statutes framed by the Board of Governors shall be submitted to the State Government for its approval, which may be approved within two months from the date of receipt of the Statutes with or without modification.</p> <p>(2) Where the State Government fails to take any decision with respect to the approval of the Statutes within the period specified under sub-section (1) it shall be deemed to have been approved by the State Government.</p>
Power to amend the Statutes	<p>31. The Board of Governors may, with the prior approval of the State Government, make new or additional Statutes or amend or repeal the existing Statutes.</p>
Rules	<p>32. Subject to the provisions of this Act, the Rules may provide for all or any of the following matters; namely:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) admission of students to the University and their enrolment and continuance as such;</li> <li>(b) the courses of study to be laid down for all degrees and other academic distinctions of the University;</li> <li>(c) the award of degrees and other academic distinctions;</li> <li>(d) the conditions of the award of fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;</li> <li>(e) the conduct of examinations and the conditions and mode of appointment and duties of examining bodies, examiners, invigilators, tabulators and moderators;</li> <li>(f) the fee to be charged for admission to the examinations, degrees and other academic distinctions of the University;</li> <li>(g) the conditions of residence of the students at the University or constituent college;</li> <li>(h) maintenance of discipline among the students of the University or constituent college;</li> <li>(i) all other matters as may be provided in the Statutes and Rules under this Act.</li> </ul>

- Rules how made** 33. (1) The rules shall be made by the Board of Governors and the rules so made shall be submitted to the State Government for its approval, which may, within two months from the date of receipt of the rules, give its approval with or without modification.
- (2) Where the State Government fails to take any decision with respect to the approval of the rules within the period specified under sub-section (1), it shall be deemed to have been approved by the State Government.

- Power to amend rules** 34. The Board of Governors may, with the approval of the State Government make new or additional rules or amend or repeal the rules.

## CHAPTER-VII

### Miscellaneous

- Conditions of Services of Employees** 35. (1) Every employee shall be appointed under a written contract, which shall be kept in the University and a copy thereof shall be furnished to the employee concerned.
- (2) Disciplinary action against the students/employees shall be governed by procedure prescribed in the Statutes.
- (3) Any dispute arising out of the contract between the University and an employee shall, at the request of the employee, be referred to a tribunal of arbitration consisting of one member appointed by the Board of Management, one member nominated by the employee concerned and an umpire appointed by the Chancellor.
- (4) The decision of the tribunal in such matter shall be final.
- (5) The procedure for regulating the work of the tribunal shall be such as may be prescribed.

- Right to Appeal** 36. Every employee of the University or of an constituent college, Regional Centre, Study Centre and Career Academy Centre, shall notwithstanding anything have a right to appeal within such time as may be prescribed, to the Board of Management against the

decision of any officer or authority of the University or of the Principal of any such Constituent college, Regional Centre, Study Centre, Career Academy Centre as the case may be and thereupon the Board of Management may confirm, modify or change the decision appealed against.

- |   |     |   |
|---|-----|---|
| <b>Provident<br/>Fund and<br/>Insurance</b>   | 37. | The University shall constitute for the benefit of its employees such provident fund and provide such insurance scheme as it may deem fit in such manner and subject to such conditions as may be prescribed.   |
| <b>Disputes as to<br/>Constitution of<br/>University<br/>Authorities<br/>Bodies</b> | 38. | If any question arises as to whether any person has been duly elected or appointed as, or is entitled to be a member of any authority or other body of the University, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final.  |
| <b>Constitution of<br/>Committees</b>   | 39. | Whether any authority of the University is given power by this Act or the statutes to appoint committees, such committees, shall, save as otherwise provided, consist of any or all the members of the authority concerned and of such persons, if any, as the authority in each case thinks fit.   |
| <b>Filling of<br/>Casual<br/>Vacancies</b>  | 40. | Any casual vacancy among the members, other than ex-officio members, of any Authority or body of the University shall be filled in the same manner in which the member whose vacancy is to be filled up, was chosen, and the person filling the vacancy shall be a member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he/she fills would have been a member. |
| <b>Protection of<br/>Action Taken<br/>in Good Faith</b>                             | 41. | No suite or other legal proceedings shall lie against any officer or employee of the University for anything, which is done in good faith or intended to be done in pursuance of the provisions of this Act and made under the Statutes or the Rules.   |



- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Transitional Provisions</b>  | <p>42. Notwithstanding anything contained in any other provisions of Act and made under the Statutes :-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) the first Vice-Chancellor and Pro-Vice Chancellor, if any shall be appointed by the Chancellor and the said officer shall hold the office for a term of three year;</li> <li>(b) the first Registrar and the first Finance Officer shall be appointed by the Chancellor who shall hold the office for a term of three years;</li> <li>(c) the first Board of Governors shall hold office for a term not exceeding three years;</li> <li>(d) the first Board of Management, the First Finance Committee and the first Academic Council shall be constituted by the Chancellor for a term of three years.</li> </ul> |
| <b>Permanent Endowment Fund</b> | <p>43. The University shall establish a permanent endowment fund of Rs. Five crore in the form of a Bank Guarantee of a Nationalized Bank pledged in the name of State Government of Uttarakhand which tenure shall be five years and after that shall be renewed for five years again.</p>   |
| <b>General Fund</b>             | <p>44. (1) The University shall establish a general fund to which the following amount shall be credited; name'y:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) all fees which may be charged by the University;</li> <li>(b) all sums received from any other source;</li> <li>(c) all contributions made by the Society;</li> <li>(d) all contributions/donations made in this behalf by any other person or body, which are not prohibited by any law for the time being in force.</li> </ul> <p>(2) The funds credited to the general fund shall be applied to meet all the recurring expenditure of the University.</p>  |
| <b>Development Fund</b>         | <p>45. (1) The University shall also establish a development fund to which the following funds shall be credited, name'y:-</p>  |

- (a) development fee which may be charged from students;
  - (b) all sums received from any other source for the purposes of the development of the University;
  - (c) all contribution made by the Sushila Devi Centre for Professional Studies and Research (Society), Dehradun;
  - (d) all contribution/donations made in this behalf by any other person or body which are not prohibited by any law for the time being in force; and
  - (e) all incomes received from the permanent endowment fund.
- (2) The funds credited to the development fund from time to time shall be utilized for the development of the University.

**Maintenance of Fund** 46. The funds established under sections 43, 44, 45 shall, subject to Maintenance of general supervision and control of the Board of Governors, be regulated and maintained in such manner as may be prescribed.

**Annual Report** 47. (1) The annual report of the University shall be prepared under the direction of the Board of Management and shall be submitted to the Board of Governors for its approval.

(2) The Board of Governors shall consider the annual report in its meeting and may approve the same with or without modification.

(3) A copy of the annual report duly approved by the Board of Governors shall be sent to Visitor and the State Government before 31<sup>st</sup> December following close of the financial year in 31<sup>st</sup> March each year.

**Accounts and Audit** 48. (1) The annual accounts and balance sheet of the University shall be prepared under the direction of the Board of Management and all funds accruing to or received by the University from whatever source and all amount disbursed or paid shall be entered in the accounts maintained by the University.

- (2) The annual accounts of the University shall be audited by an auditor, who is a member of the Institute of Chartered Accountants of India, every year.
- (3) A copy of the annual accounts and the Balance sheet together with the audit report shall be submitted to the Board of Governors well before 31<sup>st</sup> December following close of the financial year in 31<sup>st</sup> March each year.
- (4) The annual accounts, the Balance sheet and the audit report shall be considered by the Board of Governors at its meeting and the Board of Governors shall forward the same to the Visitor and the State Government along with its observations thereon before the 31<sup>st</sup> December each year.
- (5) The direction of the State Government on the subject arising out of the accounts and audit report of the University shall be binding on the University.

**Mode of Proof  
of University  
Record**

49. A copy of any receipt, application, notice, order, proceeding or resolution of any authority or committee of the University or other documents in possession of the University or any entry in any register duly maintained by the University, if certified by the Registrar, shall be received as prima facie evidence of such receipt, application. Notice, order, proceeding, resolution or document or the existence of entry in the register and shall be admitted as evidence of the matters and transaction therein recorded where the original thereof would, if produced, have been admissible in evidence.

**Dissolution of  
University**

50. (1) If Society proposes dissolution of the Uttaranchal University in accordance with the Law governing its constitution or incorporation, it shall give at least three months notice in writing to the State Government.
- (2) On identification of mismanagement, mal-administration, in-discipline, failure in the accomplishment of the objects of the

University, the State Government would issue directions to the management system of University. If the directions are not followed within such time as may be prescribed, the right to take decision for winding up of the University would vest in the State Government.

- (3) The manner of winding up of the University would be such as may be prescribed by the State Government in this behalf :

Provided that no such action will be initiated without affording a reasonable opportunity to show cause to the Society.

- (4) On receipt of the notice referred to in sub-section (1), the State Government shall, in consultation with the All India Council for Technical Education, Bar Council of India and UGC make such arrangements for administration of the University from the proposed date of dissolution of the University by Society and until the last batch of students in regular courses of studies of the University complete their courses of studies in such manner as may be prescribed by the statutes.
- (5) On the dissolution of the University, all the assets and liabilities of the University shall vest in the Promoting Society i.e., Society

**Expenditure of  
the University  
during  
Dissolution**

51. (1) The existing expenditure for administration of the University during the dissolution of the University under section 50 shall be met out of the permanent endowment fund, the general fund or the development fund.
- (2) If the funds referred to in sub-section (1) are not sufficient to meet the expenditure of the University during the dissolution of the University, such expenditure may be met by disposing of the properties or assets of the University.

**Removal of  
Difficulties**

52. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by a notification or order, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient, for removing the difficulty:

Provided that no order under sub-section (1) shall be made after the expiration of a period of three years from the commencement of this Act.

- (2) Every order made under sub-section (1) shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Assembly.

Repeal and  
Saving

53. (1) The Uttranchal University Ordinance, 2012 is hereby repealed.  
(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

By Order,

D. P. GAIROLA,  
Principal Secretary.

